

General Terms & Conditions of Contract

Index

S. N.	Description	Pg
	Part –I – Instructions to bidder	
1	General	2
2	Submission of tender	2
3	Part A-Techno-commercial bid	3
4	Part B- Price bid	3
5	Opening of Tender	3
6	Clear understanding	3
7	Validity of offer	3
8	Award of Contract	4
9	Integrity Pact & IEM	4
10	MSME Act	5
11	Startup Industries	5
	Part – II: General Terms & Conditions	
12	Earnest Money Deposit	6
13	Security Deposit	6
14	Member of the corporation not individually liable	7
15	Corporation not bound by personal representation	7
16	Non-performance of contract / cancellation of contract	8
17	Sub-letting of contract	8
18	Changes in constitution	9
19	Force majeure conditions	9
20	Notice	9
21	Dispute under this contract and arbitration	9
22	Jurisdiction	10
23	Laws governing the contract	10
24	Waiver not to impair the right of the corporation	10
25	Condition given by the tenderer	10
26	Other commercial terms and conditions, Prices, GST	11
27	Packing & Marking	11
28	Delivery and liquidated damages (LD), Freight	12
29	Invoicing, Inspection	13
30	Warranty regarding quality of materials supplied	15
31	Non- obstante clause	15
32	Annexures 1 to 9	16



PART-I: INSTRUCTIONS TO TENDERER:

1. GENERAL:

- 1.1. The tender should be addressed to the officer who has invited the tenders.
- 1.2. Any offer made in response to this tender, when accepted by the Cement Corporation of India Ltd., will constitute a contract between the parties.

2. SUBMISSION OF TENDER:

- 2.1. Two-Part Bid procedure in electronic form shall be adopted for preparation, submission and evaluation of the bids.
- 2.2. The bidder should digitally sign the bid submitted. Softcopy of the bids (Techno-Commercial Bid and Price Bid) and Annexure-9 shall be uploaded through the portal on or before the submission time and date as stipulated in the bidding document.
- 2.3. Other conditions:
 - i. The tenderer has to declare at Annexure-9 that he has not been debarred from tendering for contracts in any of the departments of Govt./Semi Govt./Public Sector Undertaking and Local Bodies.
 - ii. The tenderer has to certify at Annexure-9 that the information given by him/them in the tender documents is correct and if at any stage the same is found to be incorrect, the contract will be liable to be terminated/rescinded and action may be taken against him/them by the Corporation for damages.
 - iii. In the event of the tender being submitted by a firm, each partner thereof must sign it separately. In the event of the absence of any partner, it must be signed, on his behalf, by a partner holding power of attorney authorizing to do so.
 - iv. In the case of a company, the tender should be signed in the manner as laid down in the said Company's Article of Association.
 - v. A true copy of the partnership deed (and Articles and Memorandum of Company) duly attested should be furnished.
 - vi. Tenders received after the specified time & date are liable to be rejected.
 - vii. Tenders not submitted / uploaded in the prescribed formats and not completed in all respect are liable to be rejected.
 - viii. In case of sale of tender document, the tender documents are non-transferable. Only those firms, who have purchased the tender documents, can participate in the tender.
 - ix. Tenderers shall not be entitled to claim any costs, charges, expenses or incidentals for or in connection with the preparation and submission of their tenders even though the Corporation may decide to withdraw the "Notice Inviting Tender" or reject any/all tender(s) without assigning any reasons thereof.
- 2.4. The bidder shall prepare the bid and submit the bid online on "Electronic Tendering System" in following manner.

Part -A: Techno-Commercial Bid:

The following documents duly filled in, signed and stamped are to be up-loaded On-Line through **www.cci-etender.com** in the prevalent e-tendering partner.

1. The scanned copy of covering letter (Annexure:1)
2. Submission of Earnest money through e-Payment (through e-tendering portal Gateway)/ through BG as per format, wherever applicable.
3. Declaration (Annexure:9), duly filled in and stamped, on Bidder's letterhead.
4. Scanned Copy of Integrity Pact (Annexure: 2) (This is to be submitted for tenders with values, which exceeds the prescribed value of tender).
5. Copy of GST Registration Certificate.
6. Copy of the PAN card of the company. (in case of proprietary firm it can be in the name of the proprietor).
7. Certificate if any officer of Corporation is related to bidder or not (Annexure:3).
8. List of unexecuted orders in hand as per Annexure :4.
9. Additional information to be furnished (Annexure:5).
10. Copy of foreign collaboration, if applicable.
11. The Annual Turnover of the firm of bidder as per audited balance sheet for last 3 financial years.
12. Reference from the Bankers indicating financial status of the company.
13. The certificate from the appropriate Govt. Authority certifying that the bidder is the manufacturer of items for which offer is submitted.
14. MSME certificate with Udyog Adhar no. (For MSME Vendor).

Part -B: Price bid: To be submitted on-line as per “**PRICE BID**” format only.

3. OPENING OF TENDER:

- 3.1. Part-A i.e. Techno-Commercial bid will be opened electronically on specified date and time as given in the NIT. Bidder(s) can witness electronic opening of bid.
- 3.2. Part-B i.e. Price bid will be opened electronically of only those bidder(s) whose Part-A Techno-Commercial Bid is found to be Techno-Commercially acceptable by CCI. Such bidder(s) will be intimated date of opening of Part-B Price bid, through their valid email IDs as mentioned by them.

4. CLEAR UNDERSTANDING:

When a tenderer submits his tender documents in response to this tender, he is deemed to have understood fully about the requirement, terms and conditions. No extra payment will be made or any other claim whatsoever entertained on the pretext that the tenderer did not have a clear idea of any particular point(s).

5. VALIDITY OF OFFER:

Tender shall remain valid for acceptance for **120** days or as may be specified, from the date of opening of commercial bid. No revision/modification in the tendered rate will be allowed during the period of original validity of tender or the extended period except for any reduction/ revision as may be asked for specifically by CCI during negotiations.

6. AWARD OF CONTRACT:

- 6.1. The Corporation reserves the right:
 - i. To accept in its sole and unfettered discretion any tender for whole or part quantities/part work or to reject any or all tenders without assigning any reasons thereof and without entitling the tenderer to any claim whatsoever.
 - ii. To award the contract to more than one firm, either at equal price or at different prices.
 - iii. To enter into parallel contracts simultaneously or at any time during the period of the contract with one or more tenderer(s), as the Corporation may deem fit.
 - iv. To place adhoc order simultaneously or at any time during the period of the contract with one or more tenderer(s) for such quantity and for such jobs as the Corporation deem fit.
- 6.2. Normally no price negotiation will be conducted. Tenderers are advised to quote lowest rates on firm basis in their offers.
- 6.3. Firms, which have failed to fulfill earlier contractual obligations, may not be considered.
- 6.4. If no separate agreement has been signed by the parties to the contract, the LOI/ Order resulting from this tender including all negotiation and detailed order to be issued subsequently, with its terms and conditions and stipulation as agreed to by the tenderer and to the extent modified during negotiations, constitutes the contract agreement relating to the work between the successful tenderer and the Corporation and the parties shall be bound by the terms and conditions and all provisions of this contract.
- 6.5. The Corporation does not bind itself to accept the lowest or any tender and to assign any reason for non-acceptance of the same.
- 6.6. The Corporation shall mean and include the administrative and executive officers of its Corporation Office at New Delhi as well as of factories/ projects as the case may be who are identified to deal with matter relating to this contract on its behalf.
7. In case of the due date of sale/ submission/opening of tender falling on Government holiday(s), the succeeding working day/date will be treated as due day/date automatically. However, the time will remain unchanged.
8. The tenderer should have adequate experience in the related field and should furnish supporting documents giving details of similar job executed during last three years as per format enclosed (Annexure-8).

9. INTEGRITY PACT & INDEPENDENT EXTERNAL MONITOR (IEM):

- 9.1. The tenderers should go through the Integrity Pact (Annexure-2) in detail and should submit the same, duly signed by Proprietor/Director/Partner as per Clause 4 of Part A. The conditions of the Integrity Pact, shall be applicable, during the period of the contract or extension thereof. In case the contract is sub-let by the successful Tenderer with the permission of the Corporation, the Principal Contractor/successful Tenderer shall take responsibility for adoption of Integrity Pact by the sub-contractor.
- 9.2. The person signing Integrity Pact shall not approach the court while representing the matters to present IEM & he/she will await their decision in the matter.

- 9.3. IEM shall oversee the compliance under the Integrity Pact. The details of present IEM is given in the CCI website.
 - 9.4. The stakeholders may approach the IEM regarding any unethical terms / practices of the organization.
 - 9.5. The IEM would examine all complaints received by them.
 - 9.6. The IEM is expected to resolve issues raised by bidder regarding any aspect of the tender, which allegedly restricts competition or displays bias towards some bidders.
 - 9.7. Vendors/Bidders having any grievance/complaint relating to the tender at any stage may approach the IEM directly, preferably by email. The IEM will look into their grievances/ complaints Promptly, objectively and independently
- 10. MSME ACT-** As per MSME Act-2012, 25% of the total tendered quantity shall be reserved for the vendors, registered with MSME, with quoted landed cost within the band L-1 +15%, provided they agree to supply at the landed cost of L-1. Out of the 25% of tendered quantity, 20% shall be reserved to the MSME entrepreneurs' with SC/ST category. Besides out of 25% total procurement from MSMEs, 3% procurement shall be from MSMEs owned by women. For award of this quantity, the vendors shall have to submit the valid MSME certificate (with SC/ST category, if any) along with the techno-commercial bid of the tender. This shall be possible only if the L-1 bidder is not MSME. In case of more than one such MSME, the quantity shall be shared proportionately.
- 11. START UP INDUSTRIES-** For industries which have started the business during last 3 financial years, the submission of the credentials like audited balance sheets, performance certificates for materials supplied during last 3 years may not be mandatory for the purpose of meeting the eligibility criteria of the tender. They can submit the documents for the financial years during which their manufacturing unit was in operation. However the list & documents of plant and machineries etc. are required to be submitted.
-



PART-II: GENERAL TERMS AND CONDITIONS

1. EARNEST MONEYDEPOSIT:

- 1.1. All tenderers including those registered with the Corporation should furnish earnest money, as specified, through e-Payment (through e-tendering portal Gateway) in favor of Cement Corporation of India Limited, New Delhi. Tender received without the Earnest money deposit, as specified in the tender, will be liable for rejection. Any other money held by or pending with the Corporation against any other contract will not be generally adjusted/ treated as EMD for this tender.
- 1.2. Earnest money will be forfeited if the rates are revised/or modified upward during the validity period or extended period. Earnest money will also be forfeited if the security deposit is not furnished within 15 days from the date of LOI or work not started after acceptance of the tenderer's offer by CCI.
- 1.3. The Earnest money deposit will not bear any interest.
- 1.4. The Earnest money deposit of successful tenderers would be adjusted towards the Security deposit and that of others will be refunded, except in the cases mentioned in 1.2 above and mentioned in Clause 2.3below.
- 1.5. Public Sector Undertakings (Central/State) and SSI units registered with NSIC and MSME are exempted from submission of Earnest money deposit. The MSME and SSI units shall furnish a documentary proof to the effect that they are registered with NSIC along with the tender documents.

2. SECURITYDEPOSIT:

- 2.1. The amount of Security deposit as specified in the special terms and conditions of the tender/LOI, shall be deposited by the successful bidder within 15 days of acceptance of offer of issue of Rate Contract/P.O.
- 2.2. Failure to furnish Security Deposit in accordance with the conditions of the tender as mentioned in 2.1 above will be considered to be breach of contract which would give the Corporation the right to terminate the contract and forfeit the EMD amount. For such breach of contract, the Corporation will also be entitled to take any other course of action against the successful tenderer as it may deem fit like stoppage of business dealings/ debarring from tendering, etc.
- 2.3. The Security deposit may be made either by bank draft or bank guarantee in favor of Cement Corporation of India Ltd. from any nationalized bank in the prescribed form valid for a period of 6 months beyond the date of completion of contract with a further claim period of 3 months. The Earnest money will be adjusted towards portion of security deposit, in the case of successful bidder.
- 2.4. If work is not started after acceptance of offer by successful bidder, EMD/SD will be forfeited.
- 2.5. In the event of any approved upward revision in the value of the contract the successful bidder will, on receiving intimation, make further deposit as specified by the Corporation towards the increased value of the contract.

- 2.6. The security deposit will not bear any interest. The Corporation reserves the right to adjust security deposit towards any amount due to it from the successful tenderer against this contract or against any other contract with this Corporation and in such an event the successful tenderer on receipt of notice from the Corporation shall make further deposit to restore the security deposit to the full amount.
- 2.7. The security deposit shall be liable to be forfeited wholly or partly at the sole discretion of the Corporation, should the successful tenderer either fail to complete the jobs assigned to him/them as per agreed time schedule or to fulfill his/their contractual obligations or to settle in full his/their dues to the Corporation.
- 2.8. The Corporation is empowered to deduct from the security deposit or from any other outstanding amount any sum that may be fixed by the Corporation as being the amount of loss or losses or damages suffered by it due to delay in performance or non-performance of any of the conditions of the tender/contract. The Corporation will, however, not be bound to prove any demonstrable loss or damages suffered.
- 2.9. The Corporation shall have a lien over all or any money that may become due and payable to the contractor under this contract or any other contract or transaction of any other nature either all alone or jointly with other and unless the Contractor pays and clears the claim of the Corporation immediately on demand, the Corporation shall be entitled at all times to deduct the said sum due from the contractor from any money/security deposit with which may have become payable to the contractor or may become due at any future date under this contract or any other contract or transaction whatsoever between the contractor and the Corporation without prejudice and in addition to the other rights of the Corporation to recover the amount of any such claim by other remedies legally available.
- 2.10. Bank Guarantee as required under this contract or agreed to against any advance made by the Corporation/ contract performance/equipment performance/ guarantee etc. shall be extended by the Contractor whenever so required by the Corporation and without any question for covering the period of completion and finalisation of work, performance etc. Failure to do so shall entitle the Corporation to encash the bank guarantee against it towards any dues, recoveries L.D. etc.

3. MEMBER OF THE CORPORATION NOT INDIVIDUALLY LIABLE:

- 3.1. No Director or official or employee of the Corporation shall in any way be personally bound or liable for acts or obligations of the Corporation under the contract or answerable for any default or omission in observance or performance of any of the acts, matters or things which are here in contained.

4. CORPORATION NOT BOUND BY PERSONAL REPRESENTATION:

- 4.1. The contractor shall not be entitled to any increase in the rates or any other right or claim whatsoever by reason of any representations, explanation or statement or alleged representation, promise or assurance given or alleged to have been given by any employee of the Corporation.

5. NON-PERFORMANCE OF CONTRACT / CANCELLATION OF CONTRACT-RIGHT OF THE CORPORATION:

- 5.1. The Corporation reserves the right to cancel the contract if the contractor fails to carry out the jobs assigned to him as per contract and as per the instructions given by authorized representative of the Corporation. In addition, Corporation may also take any other remedial measures in such an event as described hereunder.
- 5.2. Any bribe, commission, gift or advantage given, promised or offered by or on behalf of the tenderers, their partners agents or servants to any officer servant or representative of the Corporation for obtaining or for execution of this or any other contract or for receiving payments under the contract shall in addition to the criminal liability he may incur will subject to tenderer to cancellation and the Corporation shall be entitled to deduct the amount so payable from any money otherwise due to the tenderer under this or any other contract. Any question or dispute as to whether the tenderers have incurred any liability under the clause shall be settled by the Corporation in such manner and on such evidence of information as it may deem fit and sufficient and the Corporation decision in this regard shall be final and conclusive.
- 5.3. In case of any compelling circumstances or for any other reasons and in the opinion of the Corporation, the contract needs to be determined and terminated at the stage during the execution, the Corporation shall be entitled to do so, giving one month's notice in writing. In such an eventuality, no compensation whatsoever for any arrangement is made by the contractor or for any liabilities incurred by him or any consequential loss will be payable by the Corporation except the payment for work actually done at contracted rates, after making good all dues recoveries L.D. if any etc. CCI also reserves its right to suspend the contract for any compelling reasons if in the opinion of the Corporation it is so required. In such an eventuality, the time of completion will be extended to the extent of suspension period but no claim whatsoever for any damages, increase in rates, idle wages machinery etc. will be payable to the contractor.
- 5.4. The Corporation also reserves the right to make risk purchase from the open market by tender or by any other mode of purchase at the risk and cost of supplier in respect of such quantities that the supplier fails to deliver in accordance with the schedule of delivery agreed to, after giving due notice to the supplier.

6. SUB-LETTING OF CONTRACT:

- 6.1. The contractor shall not sublet or assign this contract or any part thereof without obtaining prior written permission of the Corporation. In the event of the contractors subletting or assigning the contract or any part thereof without such permission, the Corporation shall have the right to rescind the contract and contractor shall be liable to the Corporation for any loss or damage which the Corporation may sustain in consequence or arising out of such cancellation. Even, in case subletting is permitted by the Corporation the party to whom subletting is proposed, will be subject to approval of the Corporation. However, the Corporation will not recognize any contractual obligations with the persons or party to whom the contract has been sublet including compensation under workman's compensation Act and the Contractor will be held responsible for the satisfactory, due and proper fulfillment of the contract.

7. CHANGES INCONSTITUTION:

- 7.1. Where the contractor is a partnership firm, a new partner shall not be introduced in the firm except with the previous consent in writing of the Corporation which may be granted only upon furnishing of a written undertaking by the partner to perform the contract and accept all liabilities incurred by the firm and under the contract prior to the date of such undertaking.
- 7.2. On the death or retirement of any partner of the Contractor's firm before complete execution and performance of the contract, the Corporation may, at its option rescind the contract and in such case the contractor shall have no claim, whatsoever, for compensation of any kind, consequential loss etc. against the Corporation.
- 7.3. Without prejudice to any of the rights or remedies under this contract, if the contractor is a proprietorship concern and proprietor dies during the subsistence of the contract, the Corporation shall have the option to terminate the contract without paying compensation of any kind consequential loss etc. to any claimant i.e. legal heirs and successors.

8. FORCE MAJEURECONDITIONS:

- 8.1. If any time during the continuance of the agreement/contract it becomes impossible by reasons of war, or war like operations, strikes, lock-outs, riots, civil commotion, epidemical sickness, pestilence, earthquake, fire, storm, or floods, the contractor shall during the continuance of such contingencies, not be bound to execute the contract during this period as per agreement/ contract time schedule. The work shall be resumed immediately the contingencies has have ceased or otherwise determined and contractor's obligations shall continue to be in force for correspondingly extended period after the resumption of execution. The contractor shall however, intimate the corporation by registered post about such acts at the beginning and end of the above causes of delay within ten days of occurrence and cessation of such force majeure conditions.
- 8.2. In the event of delay lasting over one month, if arising out of cause of force majeure the Corporation reserves the right to cancel the order/ contract without any compensation whatsoever, and/or any consequential loss etc.
- 8.3. Only events of Force Majeure, which affect the work at the time of its occurrence shall be taken into cognizance. The Corporation shall not be liable to pay any extra costs or increased rates due to delay under Force Majeure conditions. Only appropriate extension of time will be granted.

9. NOTICE:

- 9.1. Any notice hereunder may be served on the contractor by registered post/ mail at his last known address. Proof of issue of any such notice at this address shall be conclusive proof of having received the notice by contractor.

10. DISPUTE UNDER THIS CONTRACT ANDARBITRATION:

- 10.1. In the event of any question / dispute, breach or difference arising in respect of the meaning and scope of terms & conditions herein or in connection with any matter under this agreement (except for those matters which are to be decided as per provisions made in these terms & conditions). The same shall be referred as per the provisions laid down under Section 8 and section 11 of Arbitration and Conciliation Act,1996.

- 10.2. In the event of claims and disputes with value exceeding Rs. 50,000/-, the cases shall be referred to the arbitrator and he shall award such cases with reason. The award of the arbitrator shall be final and binding on the parties to this contract.
- 10.3. Subject to aforesaid the Arbitration & Conciliation Act, 1996 and the rules made there under and any statutory modifications thereof for the time being in force shall apply to the arbitration proceedings under this clause.
- 10.4. The work under the contract shall be continued uninterrupted during the pendency of the arbitration proceedings under this clause.
- 10.5. The venue of the arbitration shall be New Delhi or such other place as the arbitral tribunal at his discretion may determine.
- 10.6. In the event of any dispute or difference relating to the interpretation and application of the provisions of commercial contract(s) between Central Public Sector Enterprises (CPSEs)/ Port Trusts inter se and also between CPSEs and Government Departments/Organizations (excluding disputes concerning Railways, Income Tax, Customs & Excise Departments), such dispute or difference shall be taken up by either party for resolution through AMRCD as mentioned in DPE OM No.4(1)/2013-DPE(GM)/FTS-1835 dated 22-05-2018.

11. JURISDICTION:

11.1. It is hereby agreed by the parties here that only the following Courts shall have Jurisdiction to decide or adjudicate upon any dispute which may arise out of or be in connection with the agreement:-

- i) Courts at Delhi / New Delhi for contracts awarded for Corporate Office, New Delhi.
- ii) Courts at Diphu / Guwahati for contracts awarded for Bokajan Unit.
- iii) Courts at Ponta Sahib / Shimla for contracts awarded for Rajban Unit.
- iv) Courts at Tandur / Hyderabad for contracts awarded for Tandur Unit.

12. LAWS GOVERNING THE CONTRACT:

12.1. This contract shall be governed by the laws of Union of India in force.

13. WAIVER NOT TO IMPAIR THE RIGHT OF THE CORPORATION:

13.1. Any delay in exercising or omission to exercise any right, power or remedy accruing to the corporation upon any default under this contract shall not impair any such right, power or remedy or shall be construed to be inaction of the Corporation in respect of any such default or any acquiescence by the Corporation effect or impair any right, power or remedy of the Corporation under this contract.

14. CONDITION GIVEN BY THE TENDERER:

14.1. With the acceptance of the terms and conditions described in this tender any terms and conditions given by the tenderers contrary to those conditions shall be treated as withdrawn by the tenderer(s).

15. OTHER COMMERCIAL TERMS AND CONDITIONS:

15.1. PRICES:

- i) Prices quoted shall be firm during the tenure of the contract and shall be inclusive of packing, forwarding charges and on F.O.R./F.O.T. station of dispatch/destination.
- ii) Any statutory levy / variation in the GST on the items ordered (final finished items for which rates are quoted) at the rates prevailing on the date of scheduled delivery or at the rates prevailing on the date of supply whichever is lower, shall be borne by the Corporation. However, supplier has to furnish documentary evidence i.e. Notification for such levy/variation.
- iii) Prices are to be quoted on firm basis and there shall be no variation of the same during the period of contract unless specifically agreed to and provided in the contract.
- iv) If the dispatches are made within the scheduled time, prices as per the contract will be payable. However, if the dispatches are delayed, the Corporation will have the option to either charge liquidated damages or rate difference calculated on the basis of prices pertaining to the schedule date of dispatch and/or prices applicable to the actual date of dispatch i.e. prevailing rate, whichever is higher i.e. ordered value minus liquidated damages or prevailing rate whichever is lower, will be paid. However, extension in the validity of the contract will be required if the dispatches are made after expiry of the contract. If at any time, during the said period, the supplier reduces the sale price of such stores or sell such stores to any other person at a price lower than the price chargeable under the contract, he shall forthwith notify such reduction or sale to the Corporation and the price payable under the contract for the stores supplied after the date of coming into force such reduction or sale, shall stand correspondingly reduced.

15.2. GOODS & SERVICE TAX:

- i) The IGST/CGST/SGST, if applicable, will be paid on the cost of the finished goods being supplied, as per the rate (%) prevailing at the time of scheduled delivery period, subject to the supplier claiming the same as separate item on their bill.
- ii) The supplier shall furnish the following certificate on the body of the bill claiming aforesaid amount of IGST/CGST/SGST.
- iii) "It is certified that the goods, on which GST has been charged, have not been exempted under the GST or the rules made there under. The amount charged on account of GST on those goods are not more than what is payable under the provisions of the relevant act, or the rules made there under:"

15.3. PACKING AND MARKING:

- i) All machinery equipment, hardware items and materials prone to deterioration shall be adequately packed to protect them against all damages, pilferage, rust etc. during transit and from atmosphere. Packing shall be adequate and suitable for transport by rail/ road as required. Each package shall contain order no. and date and name of consignee.

- ii) Each consignment must relate to one purchase order only. Where dispatch of material against more than one orders in a single consignment/ case is warranted, the material against each order should be packed separately. Order numbers should be visibly marked outside all packages for easy identification.
- iii) Any loss, damages or pilferage in transit due to faulty/ inadequate packing or on any other account will be to the account of the supplier.
- iv) All packing and forwarding charges are to be borne by the supplier.

15.4. DELIVERY AND LIQUIDATED DAMAGES(LD):

- i) The successful tenderer, on receipt of Purchase Order, will finalize a detailed manufacturing schedule keeping in view the overall delivery schedule as per the order. He will indicate the completion dates of critical activities and on approval by CCI, the same will form the basis for monitoring the progress when the items are taken up for manufacture. The copies of the schedule shall be forwarded to Inspecting Authority besides Material Management Department.
- ii) LD for delay in delivery shall be levied @ ½% per fortnight or part thereof on the belated supplies against each indent subject to maximum of 5% of the delayed portion of supplies against that indent. The corporation will, however, not be bound to prove that it has suffered to the extent of LD claimed. The LD for delay in delivery shall be levied on the landed cost at CCI's units inclusive of basic prices, taxes, duties & freight etc.
- iii) The time and date of delivery is the essence of the contract and the goods must be dispatched within the time and subject to the conditions specified. For such breach of contract, the Corporation will be entitled to take any other course of action against the supplier as it may deem fit like stoppage of business dealings/ debarring from tendering etc.

15.5. FREIGHT:

- i) Stores, ordered for, must be dispatched in such a way that the total freight charges whether based on cubic measurement or weight should be minimum keeping in view that the under load consignment are to be avoided.
- ii) The supplier shall obtain clear and unconditional Railway Receipt/ Parcel way bills/ lorry receipts from the Carriers.
- iii) The supplier shall have to make arrangements for the dispatch of all over size dimensional consignments to purchaser's site and shall be responsible for taking permission, if necessary, from the concerned authorities for the movement of such oversize consignments from the station of dispatch to destination station. All expenses incurred in this connection shall be borne by the supplier.

15.6. INVOICING:

- i) Two copies (one of which should be in original) of invoice, packing list/ delivery challan along with Railway receipt/ Lorry receipt/ Parcel waybill, Inspection certificate issued by the inspecting authority or similar other documents as above should be sent to the consignee. The documents as above should be sent within 72 hours from the dispatch of the consignments to avoid payment of demurrage/ wharfage. Any demurrage/ wharfage paid by the Corporation due to non/late receipt of documents will be to the account of supplier. The scanned copy of such documents may also be forwarded to the consignee through e-mail.
- ii) A telegraphic intimation giving details of RR/Lorry receipt/ Parcel way bill, consignment details, such as no. of packages, weights and values shall be sent to the consignee in advance.
- iii) One copy of invoice pre-receipted along with copies of packing list, delivery challan, inspection certificate issued by the inspection authority shall be sent to the paying authority. In case the dispatch documents are to be sent through bank, advance copy of the invoice shall be sent to the paying authority within 72 hours of the dispatch of the consignments.
- iv) One copy of the invoice along with a copy of packing list delivery challan shall be sent to the Officer who has placed the order.
- v) If any extra charges including wharfage or demurrage are incurred in taking delivery of the consignment due to supplier's failure to observe the conditions mentioned above same will be recovered from the supplier.

15.7. INSPECTION:

- i) Pre-inspection at supplier's work will be carried out by P&I Dept. of CCI/ Unit/ any other agency at the sole discretion of CCI.
- ii) All inspection calls will be issued from the works and not Sales Office with the stamp of the supplier, giving a clear notice of 21 days from the date of stamp of the Post Office when any items are offered for inspection.
- iii) Inspection will cover checking of all items being manufactured by the supplier at his own works, at the works of his sub-supplier and also of any of his bought out items.
- iv) The supplier will provide all facilities including tools, instruments and other apparatus to inspecting officer to facilitate inspection and avoid delay in work on this account.
- v) The test would normally be conducted as per BIS standards wherever available and in other cases as per prevalent engineering practices for consignments, checking of material will be done for chemical analysis, physical properties, visual inspection, non-magnetic property, test certificates and other non-destructive tests (if specified in the purchase order). Test verification of chemical composition will be done in a Govt. laboratory/ Govt. approved laboratory/any other reputed laboratory at the discretion of CCI wherever required.
- vi) The Inspector will have access to the premises/ workshop of supplier, his sub-supplier at all reasonable times to undertake inspection, take samples, take any other measurement or readings and to check the progress of any of the items.

- vii) Inspection will include checking of raw materials manufacturing procedures, stage inspection (as per stages to be indicated/ required by CCI during execution) and final inspection. The manufacturer shall, always keep all detailed records about the stage inspection, and CCI inspector will be at liberty to check those records on demand.
- viii) For any sub-contracted items, supplier will inspect them himself before offering them to CCI for inspection. In this regard, the supplier will submit his inspection report along with all documents while giving inspection call for sub-contracted items.
- ix) The supplier will immediately on receipt of the order, draw an inspection plan with CCI for identifying the stages at which checking is to be done to meet with CCI's requirements.
- x) Final inspection will be carried out when the material/equipments are ready in all respect preferably before painting. The extent and type of inspection will depend upon type of equipment/ item and its function in general and will include items like checking of critical dimensions, physical tests, straightness/ flatness and surface finish, checking of hardness of components, carrying out load/ no load trials, dynamic/ static balancing, leakage and hydraulic tests contract impression, tooth profile and back lash etc.
- xi) The manufacturer will supply to the inspector all test certificates and records of their own internal inspection at the time of final inspection. These will include manufacturing records, destructive and non destructive tests, impulse test etc.
- xii) If the inspector has advised the supplier to do certain rectification before dispatch of materials, these instructions will be carried out and materials will not be dispatched without these rectifications. Inspection by CCI inspectors will not absolve the supplier from his responsibility regarding the quality of materials supplied by him or his sub-contractors/ sub-suppliers. CCI will have the right to reject the materials if after their receipt at site, it is found that the rectifications advised by CCI were not carried out or the items do not give the specified performance as per the specifications and the guarantees.
- xiii) For long delivery items, the supplier will send a monthly progress report indicating the latest status of each item/assembly to enable CCI to know the progress of work.
- xiv) Notwithstanding the stage/final inspection done at the works of supplier, CCI reserves the right to inspect or test the goods at its destination site and any 1 defects/short-comings noticed will be made good by the supplier/work as per contracted time schedule, at his own expenses.
- xv) CCI reserves the right to inspect any bought out item and in this regard the supplier will submit all necessary records, data and documents so as to enable CCI inspector to undertake inspection.
- xvi) No material will be dispatched under any circumstances without clearance from CCI Corporate Office.
- xvii) All costs involved in connection with inspection/testing will be borne by the supplier.

15.8. WARRANTY REGARDING QUALITY OF MATERIALS SUPPLIED:

- i) Supplier shall guarantee that all the items supplied by them whether manufactured by them or their sub-contractor or purchased from any other source and supplied to the corporation shall be new and free from all defects arising due to defective material or manufacturing defects. Items supplied shall be first class workmanship with effective design.
- ii) The supplier shall warranty to replace, rectify or repair free of cost at the factory site, the component or part of item proved to have become unserviceable due to any of the above defects within period of 12 months from the date of use of the material or 18 months from the date of dispatch of item(s) whichever is earlier. In the event of the supplier not complying with the above within a reasonable time, the corporation will have the option to rectify/repair or replace the defective part(s)/component after giving three weeks notice to the supplier and recover the cost from the supplier.

15.9. CCI reserves the right to request for diversion of dispatch of materials to any of its other units. Difference in taxes, duties and freight charges if any, shall be borne by CCI.

15.10. In the event of negotiations, only downward revision of rates will be allowed. Any change in techno-commercial terms as agreed earlier, will not be permitted at this stage. Hence any qualifying remarks in the price bid revised/ negotiated offer will not be entertained and shall render the tender liable for rejection and forfeiture of earnest money deposit.

16. NON- OBSTANTECLAUSE:

- 16.1. Notwithstanding anything contained herein or elsewhere; the decisions taken by Cement Corporation of India will be final and binding upon all the concerned including all the parties to the present tender document and process therewith.

(On the letterhead of the bidder)**Covering Letter**

To,
 The (Tendering Authority)
 Cement Corporation of India Limited,
 (Address of Unit / Corporate Office)

Bidder's Ref No.:

Dear Sir,

With reference to your NIT No. Dated,
 I/We am/are hereby uploading the scanned copies of the following documents online for your
 reference:

S.No.	Item	Yes/No/NA
1	Scanned copy of covering letter (Annexure-1)	
2	Submission of EMD (Cash/DD/BG/ Gateway)	
3	Copy of GST Registration Certificate and PAN Card	
4	Partnership Deed / Memorandum & Article of Association	
5	Balance Sheet for last 3 financial years	
6	Scanned Copy of duly filled and signed Integrity Pact Annexure-2	
7	Udyog Aadhar Number (For MSME bidders)	
8	Annexure 3 (Declaration of relation to officer of CCI)	
9	Annexure 4 (unexecuted / present contracts / jobs in hand)	
10	Annexure 5 (Bidder's firm/company profile)	
11	Annexure 6 (Details of plant & machinery installed)	
12	Annexure 7 (Details of testing facilities installed)	
13	Annexure 8 (Details of orders executed including CCI during the last three years)	
14	Annexure 9 (Declaration letter of having read and understood the GTC)	

(For and on behalf of Bidder/Contractor)
 (Office Seal)

INTEGRITY PACT

Between

**Cement Corporation of India Limited (CCI) hereinafter referred to as "The Principal",
And**

**----- hereinafter referred to as "The Bidder/
Contractor"**

Preamble:

The Principal intends to award, under laid down organizational procedures, contract/s for ----- . The Principal value full compliance with all relevant laws of the land, rules, regulations, economic use of resources and of fairness / transparency in its relations with its Bidder(s) and / or Contractor(s). In order to achieve these goals, the Principal will appoint an Independent External Monitor (IEM), who will monitor the tender process and the execution of the contract for compliance with the principles mentioned above.

Section 1 - Commitments of the Principal:

- 1) The Principal commits itself to take all measures necessary to prevent corruption and to observe the following principles:-
 - a) No employee of the Principal, personally or through family members, will in connection with the tender for, or the execution of a contract, demand, take a promise for or accept, for self or third person, any material or immaterial benefit which the person is not legally entitled to.
 - b) The Principal will, during the tender process treat all Bidder(s) with equity and reason, The Principal will in particular, before and during the tender process, provide to all Bidder(s) the same information and will not provide to any Bidder(s) confidential additional information through which the Bidder(s) could obtain an advantage in relation to the tender process or the contract execution.
 - c) The Principal will exclude from the process all known prejudiced persons.
- 2) If the Principal obtains information on the conduct of any of its employees which is a criminal offence under the IPC/PC Act, or if there be a substantive suspicion in this regard, the Principal will inform the Chief Vigilance Officer and in addition can initiate disciplinary actions.

Section 2 - Commitments of the Bidder(s)/ contractor(s):

- 1) The Bidder(s)/ Contractor(s) commit himself to take all measures necessary to prevent corruption. He commits himself to observe the following principles during his participation in the tender process and during the contract execution.
 - a) The Bidder(s)/Contractor(s) will not, directly or through any other person or firm, offer, promise or give to any of the Principal's employees involved in the tender process or the execution of the contract or to any third person any material or other benefit which he/she is not legally entitled to, in order to obtain in exchange any advantage of any kind whatsoever during the tender process or during the execution of the contract.

- b) The Bidder(s)/Contractor(s) will not enter with other Bidders into any undisclosed agreement or understanding, whether formal or informal. This applies in particular to prices, specifications, certifications, subsidiary contracts submission or non-submission of bids or any other actions to restrict competitiveness or to introduce cartelization in the bidding process.
 - c) The Bidder(s)/Contractor(s) will not commit any offence under the relevant IPC/PC Act; further the Bidder(s)/ Contractor(s) will not use improperly; for purposes of competition or personal gain, or pass on to others, any information or document provided by the Principal as part of the business relationship, regarding plans, technical proposals and business details, including information contained or transmitted electronically.
 - d) The Bidder(s)/Contractor(s) of foreign origin shall disclose the name and address of the Agents/representatives in India, if any. Similarly the Bidder(s)/Contractor(s) of Indian Nationality shall furnish the name and address of the foreign principals, if any, Further details as mentioned in the "Guidelines on Indian Agents of Foreign Suppliers' shall be disclosed by the bidder(s)/ Contractor(s). Further, as mentioned in the Guidelines all the payments made to the Indian agent/representative have to be in 'Indian Rupees only.
 - e) The Bidder(s)/Contractor(s) will, when presenting his bid, disclose any and all payments he has made, is committed to or intends to make to agents, brokers or any other intermediaries in connection with the award of the contract.
- 2) The Bidder(s)/Contractor(s) will not instigate third persons to commit offences outlined above or be an accessory to such offences.

Section3- Disqualification from tender process and exclusion from future contracts:

- 1) If the Bidders(s)/Contractor(s), before award or during execution has committed a transgression through a violation of Section 2, above or in any other form such as to put his reliability or credibility in question, the principal is entitled to disqualify the Bidder(s)/Contractor(s) from the tender process or to terminate the contract, if already signed for such reason.
- 2) If the Bidder/Contractor has committed a serious transgression through a violation of sector-2 such as to put his reliability or credibility into question, the principal is entitled also to exclude the Bidder/Contractor from future contract award processes. The imposition and duration of the exclusion will be determined by the severity of the transgression. The severity will be determined by the circumstances of the case, in particular the number of transgressions, the position of the transgressors with the company hierarchy of the Bidder and the amount of the damage. The exclusion will be imposed for a minimum of 6 months and maximum of 3years.
- 3) If the Bidder/Contractor can prove that he has restored/recouped the damage caused by him and has installed a suitable corruption prevention system, the Principal may revoke the exclusion prematurely.
- 4) A transgression is considered to have occurred if in light of available evidence no reasonable doubt is possible.

Section 4 - Compensation for Damages:

- 1) If the Principal has disqualified the Bidder(s) from the tender process prior to the award according to Section 3, the Principal is entitled to demand and recover the damages equivalent to Earnest Money Deposit/ Bid Security.

- 2) If the Principal has terminated the contract according to Section 3, or if the Principal MM entitled to terminate the contract according to Section 3, the Principal shall be entitled to demand and recover from the Contractor liquidated damages of the Contract value or the amount equivalent to Performance Bank Guarantee.

Section 5 - Previous transgression:

- 1) The Bidder declares that no previous transgressions occurred in the last 3 years with any other Company in any country conforming to the anticorruption approach or with any other Public Sector Enterprise in India that could justify his exclusion from the tender process.
- 2) If the Bidder makes incorrect statement on this subject, he can be disqualified from the tender process.

Section 6- Equal treatment of all Bidders/Contractors/Sub-contractors:

- 1) The Bidder(s)/ Contractor(s) undertake(s) to demand from all subcontractors the commitment consistent with this Integrity Pact, and to submit it to the Principal before contract signing.
- 2) The Principal will enter into agreements with identical conditions as this one with all Bidders and Contractors.
- 3) The Principal will disqualify from the tender process all bidders who do not sign this Pact or violate its provisions.

Section 7- Criminalchargesagainstviolatingbidder(s)/Contractor(s)/Subcontractors:

- 1) If the Principal obtains knowledge of conduct of a Bidder, Contractor or Subcontractor, or of an employee or a representative or an associate of a Bidder, contractor or subcontractor, which constitutes corruption, or if the Principal has substantive suspicion in this regard, the Principal will inform the same to the Chief Vigilance Officer.

Section 8 -Independent External Monitor(s):

- 1) The Principal appoints competent and credible Independent External Monitor for this Pact. The task of the Monitor is to review independently and objectively, whether and to what extent the parties comply with the obligations under this agreement.
- 2) The Monitor is not subject to instructions by the representatives of the parties and performs his functions neutrally and independently. He reports to the Chairman, CCI.
- 3) The Bidder(s)/Contractor(s) accepts that the Monitor has the right to access without restriction to all tender documentation of the Principal including that provided by the Contractor. The Contractor will also grant the Monitor, upon his request and demonstration of a valid interest, unrestricted and unconditional access to his project documentation. The same is applicable Subcontractors. The Monitor is under contractual obligation to treat the information and documents of the Bidder(s)/Contractor(s)/Subcontractor(s) with confidentiality.
- 4) As soon as the Monitor notices, or believes to notice a violation of this agreement, he will so inform the Management of the Principal and request the Management to discontinue or take corrective action, or to take other relevant action. The monitor can in this regard submit non- binding recommendations. Beyond this, the Monitor has no right to demand from the parties that they act in a specific manner, refrain from action or tolerate action. However, the independent External Monitor shall give an opportunity to the Bidder/Contractor to present its case before making its recommendations to the Principal.

- 5) The Monitor will submit a written report to the Chairman, CCI within 5 to 10 weeks from the date of reference or intimation to him by the Principal and, should the occasion arise, submit proposals for correcting problematic situations.
- 6) Monitor shall be entitled to compensation on the same terms as being extended to/ provided to Independent Directors on the CCI Board.
- 7) If the Monitor has reported to the Chairman CCI, a substantiated suspicion of an offence under relevant IPC/PC Act, and the Chairman, CCI has not, within the reasonable time taken visible action to proceed against such offence or reported it to the Chief Vigilance Officer, the Monitor may also transmit this information directly to the Central Vigilance Commissioner.
- 8) The word 'Monitor/' would include both singular and plural.
- 9) Independent External Monitor shall be required to maintain confidentiality of the information acquired and gathered during their tenure/role as independent Monitor. Any breach in this regard would be subject to the legal judicial system of India.
- 10) Independent External Monitor(s) shall be required to furnish an Undertaking and disclose before taking any assignment that he/she has no interest in the matter or connected with the party (Bidder/Contractor) in any manner.

Section 9 - Pact duration:

- 1) This pact begins when both parties have legally signed it. It expires for the Contractor 12 months after the last payment under the contract and for all other bidders 6 months after the contract has been awarded. If any claim is made/lodged during this time, the same shall be binding and continue to be valid despite the lapse of this pact as specified above, unless it is discharged/determined by Chairman of CCI.

Section 10 - Other provisions:

- 1) This agreement is subject to Indian Law. Place of performance and jurisdiction is the Registered Office of the Principal, i.e. New Delhi.
- 2) Changes and supplements as well as termination notice need to be made in writing. Side agreements have not been made.
- 3) If the Contractor is a partnership or a consortium, this agreement must be signed by all partners or consortium members.
- 4) Should one or several provisions of this agreement turn out to be invalid, the remainder of this agreement remains valid. In this case, the parties will strive to come to an agreement to their original intentions.

(For and on behalf of the Principal) (Office Seal)	(For and on behalf of Bidder/Contractor) (Office Seal)
---	---

Place _____

Date _____

Witness 1: Sign Name & Address	Witness 2: Sign Name & Address
-----------------------------------	-----------------------------------



CEMENT CORPORATION OF INDIA LTD.
(A GOVT.OF INDIA ENTERPRISE)

We/ I hereby declare that the following officer(s) of the Corporation are related to us/me

Sr.No.	Name of the Officer	Post held	Place of Posting

Note: In case no officer is related 'Nil' is to be mentioned in the box above.

Signature of tenderer
(Name / full address withseal)



CEMENT CORPORATION OF INDIA LTD.
(A GOVT.OF INDIA ENTERPRISE)

UNEXECUTED / PRESENT CONTRACTS / JOBS IN HAND OF THE BIDDER

We/I hereby declare the following:

Sr.No.	Name of Client	Nature of Work	Tonnage	Approx. value of contract (Rs. In Lakhs)	Date of start	Stipulated date of completion

Note: In case of no such details 'Nil' is to be mentioned above.

Signature of tenderer
(Name / address with seal)

Place:

Date:



CEMENT CORPORATION OF INDIA LTD.
(A GOVT.OF INDIAENTERPRISE)
BIDDER'S FIRM/COMPANYPROFILE

FORMAT FOR ADDL. INFORMATION TO BE FURNISHED BY THE TENDERERS (REFER SPL. TRUCTIONS PART III SPL. TERMS & CONDITIONS)		
1.	Name of the Firm	
2.	Complete Postal address: a. Head Office/Corporate Office b. Factory c. Other branches (incl. Delhi office, if any) d. Phone	
3.	Whether Public Sector/Private Sector/Joint Sector etc.	
4.	Type of Organization	Proprietary/Partnership/Limited/any other type
A. In case of Proprietors/Partnership		
i)	Name of the Proprietors/Partners	
ii)	Whether business/Partnership is registered	
iii)	Date of commencement of business	
iv)	Status of Income Tax assessment (Please attach copy of Valid Income Tax clearance certificate)	
v)	Name & address of the Bankers (Please attach reference letter from your banker)	
B. In case of Limited Liability Company or Company Limited by Guarantees		
i)	Amount of paid-up Capital	
ii)	Name of Directors	
iii)	Date of Registration of Company	
iv)	Copies of last three years audited balance Sheets of company (including Profit & Loss Statement) to be enclosed.	
5.	Name & address of the Bankers (Please attach reference letter from your banker)	
6.	Date of commencement of production of item for which tender is being submitted Annual turnover for last 3 financial years of the category/item for which tender is being submitted	1. Amount Rs. In Lakhs 2. Amount Rs. In Lakhs 3. Amount Rs. In Lakhs

Signature of Tenderer: _____

Name of the Signatory: _____

Date :

DETAILS OF PLANT & MACHINERY INSTALLED

Name of Firm: _____

Sr. No.	Machinery	Size/ Capacity	Qty	Year of Manufacture	General Condition

Signature of Tenderer: _____

Name of the Signatory: _____ Designation: _____

_____ Seal of the Company /Firm: .

DETAILS OF TESTING FACILITIES INSTALLED

Name of Firm: _____

Sr. No.	Machinery	Size/ Capacity	Qty	Year of Manufacture	General Condition

Note : Also specify if test facilities like Radiography, Magnetic crack detection ultrasonic, physical test and chemical test facilities are available. Also indicate routine and type-testing facilities.

Date :

Signature of Tenderer: _____

Name of the Signatory: _____

Designation: _____

_____ Seal of the Company /Firm: _

**DETAILS OF ORDERS EXECUTED INCLUDING CCI DURING THE
LASTTHREE YEARS**

Name of Firm: _____

Sr. No	Type of Items (Give details)	Name of the Party to whom supplied	Value	Date of Order	Delivery Date	Date of Actual Completion

Date :

Signature of Tenderer: _____

Name of the Signatory: _____

Designation: _____

Seal of the Company/Firm: _____

(On the letterhead of the bidder)

DECLARATION LETTER OF HAVING READ AND UNDERSTOOD THE GTCTO BE
UPLOADED DULLY FILLED, SIGNED AND STAMPED

Ref. No. of bidder:

Date:.....

We/I have read the Part – I (Instructions to tenderers), Part- II (General Terms & Conditions) available on tender portal of www.cci.ltd.in and Part- III (Special Terms & Conditions) & Part- IV (Technical Specifications) of NIT No.and have understood them completely and accept. Our offer is in confirmation to all the terms and conditions of the tender including all corrigendum/ addendum, if any. Therefore the Part I, II, III, IV and Corrigendum / Addendum, if any, shall constitute the complete tender document. In the event of award of contract to us, the complete tender documents shall be considered for constitution of contract agreement.

We/I also confirm that no tampering is done with original tender documents. We understand that any tampering of tender documents will lead to rejection of our bid/ Action for disqualification in participation of Tenders in CCI.

We/I hereby declare that We/I have not been debarred from tendering for contracts in any of the departments of Govt./Semi Govt./Public Sector Undertaking and Local Bodies.

We/I certify that the information given by us/me in the tender documents is correct and if at any stage the same is found to be incorrect, the contract will be liable to be terminated/rescinded and action may be taken against us/me by the Corporation for damages.

We are/I am duly authorized/empowered to sign all the tender documents.

We/I also understand that in case of any wrong / mal practice / deviation / breach of contract is done by us / me, action for debarring can be taken against us / me by way of show cause notice, and appropriate action considering reply / no reply by us / me.

Yours faithfully,

Date:

Signature of Tenderer: _____

Name of the Signatory: _____

Designation: _____

Seal of the Company /Firm: _____

संविदा की सामान्य निबंधन एवं शर्तें
सूची

क्र. सं	विवरण	पेज
भाग-1 निविदाकर्ता के लिए अनुदेश		
1	सामान्य	2
2	निविदा जमा करना	2
3	खंड क- तकनीकी-वितीय बोली	3
4	खंड ख - मूल्य बोली	4
5	निविदा खोलना	4
6	स्पष्ट समझ	4
7	ऑफरकी वैधता	4
8	संविदा सौंपना	4
9	सत्यनिष्ठसमझौता तथा आईईएम	5
10	एमएसएमई अधिनियम	6
11	उभरतेउद्योग	6
भाग-2 सामान्य निबंधन एवं शर्तें		
12	बयाना/ धरोहर राशि	7
13	सिक्योरिटी डिपाजिट / सुरक्षा राशि	7
14	निगम के सदस्यों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व	8
15	वैयक्तिकप्रतिवेदन द्वारा निगम बाध्य नहीं है	8
16	संविदा का गैर-निष्पादन/ संविदा का निरस्तीकरण / निगम का अधिकार	9
17	संविदा कार्य का अन्य ठेकेदारों से निष्पादन	10
18	गठन में परिवर्तन	10
19	प्राकृतिक अवरोध या बलात अवरोध की स्थितियां	10
20	नोटिस	11
21	संविदा के तहत विवाद एवं मध्यस्था	11
22	अधिकारक्षेत्र	12
23	संविदा को नियंत्रित करने से सम्बंधित क़ानून	12
24	निगम के अधिकार को खंडित न करने की छूट	12
25	निविदाकर्ता द्वारा रखी गई शर्तें	12
26	अन्य वाणिज्यिक निबंधन एवं शर्तें	12
27	वस्तु एवं सेवाकर, पैकिंग तथा मार्किंग	13
28	सुपुर्दगी तथा परिनिर्धारित नुकसान, मालभाड़ा, चालान बनाना	14
29	निरीक्षण	15
30	आपूर्तिगत सामग्री की गुणवत्ता से सम्बंधित वारंटी	17
31	गैर प्रसूति खंड	17
32	अनुलग्नक 1 से 9	18



सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

भाग – I: निविदाकर्ता के लिए अनुदेश

1. सामान्य

1.1 निविदा पर उस अधिकारी का नाम लिखा हो जिसने निविदा आमंत्रित की है।

1.2 सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा इस निविदा के प्रत्युत्तर में दिए गए किसी भी ऑफर को स्वीकार किए जाने पर उसे दोनों पक्षों के बीच करार माना जाएगा।

2. निविदा जमा करना :

2.1 बोलियां तैयार करने, जमा करने एवं उनका मूल्यांकन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में द्विखंडीय बोली प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

2.2 जमा की गई निविदा बोलीदाता द्वारा डिजिटल हस्ताक्षरित होनी चाहिए। बोलियों की सॉफ्ट कॉपी (तकनीकी-वित्तीय बोली तथा मूल्य बोली) और अनुलग्नक ड, बोली दस्तावेज में बोली जमा करने के उल्लिखित समय व तिथि को या उससे पहले www.cci-etender.com/epochme/cci पोर्टल पर अपलोड की जाएंगी।

2.3 अन्य शर्तें :

1. निविदाकर्ता को घोषणा करनी होगी कि उसे/उन्हें सरकारी/ अर्धसरकारी/ लोकउपक्रम तथा स्थानीय निकाय अर्थात् राज्य सरकार के उपक्रमों के किसी भी विभाग से किसी भी संविदा के लिए प्रतिबंधित नहीं किया गया है, जो अनुलग्नक-ड. का भाग है।

2. निविदाकर्ता को अनुलग्नक- ड. में प्रमाणित करना होगा कि निविदा दस्तावेज में उसके/उनके द्वारा दी गई सूचना सही है, और यदि यह सूचना किसी भी चरण पर गलत पाई जाती है तब संविदा निरस्त /रद्द कर दी जाएगी तथा इसके परिणामस्वरूप हुए नुकसान के लिए निगम उसके/उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

3. किसी फर्म द्वारा जमा की जा रही किसी निविदा की स्थिति में वह प्रत्येक पार्टनर द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए। किसी पार्टनर के अनुपस्थित रहने पर, उसे ऐसे पार्टनर द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए जिसके पास ऐसा करने की पावर ऑफ़ अटॉर्नी हो।

4. कंपनी की स्थिति में, उक्त कंपनी के संस्था के अंत-नियमों में दर्शाई गई विधि में ही निविदाहस्ताक्षरित की जानी चाहिए।

5. पार्टनरशिप डीड की सत्यापित प्रति (और कंपनी के संस्था के अंतनियम) की स्व-अनुप्रमाणित प्रति जमा की जानी चाहिए।

6. ऑफलाइन निविदा की स्थिति में, निर्धारित समय व तिथि के बाद प्राप्त निविदाएं अस्वीकृत किए जाने के लिए उत्तरदायी है।

7. निर्धारित प्रारूप में जमा / अपलोड न किए गए और अधूरे दस्तावेज अस्वीकृत किए जाने के लिए उत्तरदायी है।

8. निविदा दस्तावेजों की बिक्री के मामले में, निविदा दस्तावेज अहस्तांतरणीय हैं। केवल वे फर्म ही निविदा में भाग ले सकती हैं जिन्होंने निविदा दस्तावेज खरीदे हैं।
9. निविदाकर्ता को उनकी निविदाओं को तैयार करने और उन्हें जमा करने से सम्बंधित अथवा किसी भी लागत, प्रभार, व्यय अथवा आकस्मिकताओं के प्रति कोई भी दावा करने का हक नहीं होगा, यहाँ तक कि निगम किसी भी चरण पर कारण बताये बिना "निविदा आमंत्रित करने के लिए नोटिस" को वापस लेने या किसी एक / सभी निविदा(ओं) को निरस्त करने का निर्णय ले सकता है।
- 2.4 बोलीदाता बोली तैयार कर उसे इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रणाली पर ऑनलाइन के माध्यम से निम्नलिखित विधि से जमा करवाएगा।

खंड क- तकनीकी-वित्तीय बोली :

विधिवत रूप से भरे गए, हस्ताक्षरित और मुहर लगे हुए निम्नलिखित दस्तावेज एंटारेस सिस्टम्स लिमि. के www.cci-etender.com/eprochome/cci माध्यम से ऑनलाइन अपलोड किए जाने हैं।

1. कवरींग लेटर की स्कैन प्रतिलिपि (अनुलग्नक-1)
2. ई-भुगतान (ई-टेंडरिंग पोर्टल गेटवे के माध्यम से) / BG के माध्यम से बयाना/ धरोहर राशि जमा करना। जहाँ भी लागू हो।
3. बोलीदाता के लेटरहेड पर घोषणा (अनुलग्नक-9), विधिवत रूप से भरी हुई तथा मुहर लगी हुई (जहाँ कहीं भी लागू हो)।
4. सत्यनिष्ठ समझौता (IP) (अनुलग्नक-2) की स्कैन प्रतिलिपि (यह निविदाओं के लिए प्रस्तुत की जानी है, जिसका मूल्य IP के लिए निर्धारित सीमा से अधिक है।)
5. जीएसटी पंजीकरण संख्या की प्रतिलिपि।
6. कंपनी के पेन कार्ड की स्कैन प्रतिलिपि (मालिकाना फर्म की स्थिति में मालिक के नाम पर)।
7. अगर आपके निगम का कोई अधिकारी बोलीदाता से संबंधित है अथवा नहीं, हेतु प्रमाण-पत्र (अनुलग्नक "3")।
8. अधूरे आदेशों की सूची (अनुलग्नक-4) के अनुसार।
9. दर्शाई जाने वाली अतिरिक्त सूचना (अनुलग्नक -5)।
10. विदेशी सहयोग की प्रति। (यदि लागू हो)।
11. पिछले 3 वित्तीय वर्षों के लिए ऑडिट की गयी बैलेंस शीट के अनुसार बोली लगाने वाली फर्म का वार्षिक टर्नओवर।
12. बैंकर्स से संदर्भ की मूल प्रति या उनके द्वारा अनुप्रमाणित प्रति जिसमें कंपनी की वित्तीय स्थिति दर्शाई गई हो।
13. उपयुक्त सरकारी प्राधिकरण से जारी प्रमाण-पत्र जिसमें प्रमाणित किया गया हो कि बोलीदाता उस वस्तु का निर्माता हैं, जिसके लिए ऑफर जमा किया गया है।

खंड ख- मूल्य बोली"मूल्य बोली"प्रारूप के अनुसार ही ऑनलाइन जमा की जाए।

3. निविदा खोलना :

भाग-क तकनीकी-वित्तीय बोली एनआईटी में दी गई निश्चित तिथि व समय पर इलेक्ट्रॉनिक विधि से खोली जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक विधि से बोली खुलने के समय बोलीदाता उपस्थित रह सकते हैं।

भाग-ख मूल्य बोली इलेक्ट्रॉनिक विधि से केवल उन्हीं बोलीदाताओं की खोली जाएगी जिनकी भाग-क तकनीकी-वित्तीय बोली सीसीआई द्वारा स्वीकार्य होगी। ऐसे बोलीदाता(ओं) को भाग-ख मूल्य बोली के खोले जाने की तिथि के बारे में उनके द्वारा पुष्टि की गई ईमेल आईडी के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

4. स्पष्ट समझ :

जब कोई निविदाकर्ता इस निविदा दस्तावेज के प्रत्युत्तर में निविदा जमा करता है, तो यह समझ लिया जाएगा कि उसने निविदा की जरूरत, निबंधन एवं शर्तों को पूरी तरह से समझ लिया है। ऐसी किसी बात के लिए अतिरिक्त भुगतान अथवा किसी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा कि निविदाकर्ता को किसी विशेष बिंदु(ओं) के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी।

5. ऑफर की वैधता:

निविदा वाणिज्यिक बोली के खुलने की तिथि से 180 दिन तक मान्य या यथा उल्लिखित स्वीकृति हेतु खुली रहेगी। निविदा की मूल वैधता अवधि अथवा विस्तारित अवधि निविदा के दौरान सीसीआई द्वारा विशेष तौर पर विचार-विमर्श के चलते दरों में किसी प्रकार की घटोतरी/संशोधन को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार के संशोधन/परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. संविदा सौंपना:

क) निगम के पास निम्नलिखित अधिकार सुरक्षित हैं:

1. अपने एकमात्र और निरंकुश विवेकानुसार संपूर्णया आंशिक मात्राओं/ आंशिक कार्य के लिए किसी निविदा को स्वीकार करना या निविदाकर्ता को किसी भी दावे का अधिकार दिए बिना और कारण बताए बिना किसी एक या सभी निविदाओं को अस्वीकार करना।
2. एक से अधिक फर्मों को समान या अलग-अलग मूल्यों पर संविदा सौंपना।
3. साथ-साथ समानांतर संविदाओं में भाग लेना अथवा जैसा निगम उचित समझे, संविदा अवधि के दौरान किसी भी समय एक या एक से अधिक निविदाकर्ता(ओं) के साथ निविदा में शामिल होना।
4. साथ-साथ तदर्थ आर्डर/ आदेश देना अथवा जैसा निगम उचित समझे, संविदा अवधि के दौरान किसी भी समय एक या एक से अधिक निविदाकर्ता(ओं) को आर्डर/ आदेश देना।

- ख) सामान्यतः मूल्य संबंधी विचार-विमर्श नहीं किया जाएगा। निविदाकर्ताओं को अपने ऑफर/प्रस्ताव में फर्म/कंपनी के आधार पर न्यूनतमदरों का उल्लेख करने का परामर्श दिया जाता है।
- ग) जो फर्म/कंपनी पूर्व में संविदात्मक बाध्यताओं को पूरा करने में विफल रही हैं, उन पर विचार नहीं किया जा सकता है।
- घ) यदि दोनों पक्षों द्वारा इस संविदा के नाम पर किसी अलग समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, तब समस्त विचार-विमर्श सहित इस निविदा के परिणामस्वरूप एलओआई/ऑर्डर निविदाकर्ता द्वारा यथा सहमत निबंधन एवं शर्तों और विनिर्दिष्ट सहित विचार-विमर्श के दौरान संशोधित रूप में लागू सीमा तक विस्तृत ऑर्डर तदनुसार जारी करना होगा जो कार्य से संबंधित सफल निविदाकर्ता तथा निगम के बीच संविदा समझौता तैयार करेगा और दोनों पक्ष इस संविदा के निबंधन एवं शर्तों तथा समस्त प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगे।
- ङ) निगम न्यूनतम अथवा किसी भी निविदा को अस्वीकार करने के लिए कोई कारण बताने के लिए स्वयं को बाध्य नहीं करता है।
- च) निगम के अभिप्राय में नई दिल्ली स्थित निगमित कार्यालय के साथ-साथ कारखानों/परियोजनाओं के प्रशासनिक तथा कार्यकारी अधिकारियों को शामिल करना है, जैसी स्थिति हो, के अनुसार जिनकी निगम ने इस संविदा से संबंधित मामलों के लिए पहचान की है।
7. यदि निविदा बिक्री की नियत तिथि/जमा करना/निविदा खोलने की तिथि को सरकारी अवकाश रहता है, तब उससे अगला कार्यदिवस/तिथि को नियत दिन/तिथि स्वतः ही मान लिया जाएगा। तथापि, समय यथावत रहेगा।
8. निविदाकर्ता को संबंधित क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव होना चाहिए तथा उसे विगत तीन वर्षों के दौरान निष्पादित किए गए समान कार्यों के विवरण देते हुए सपोर्टिंग दस्तावेज जमा करने चाहिए।
- 9. सत्यनिष्ठ समझौता तथा आईईएम**
- 9.1 भाग-क के खंड-4 के अनुसार, निविदाकर्ताओं को विस्तृत रूप से सत्यनिष्ठ समझौता (अनुलग्नक-2) पढ़कर उसे जमा कर दें जो मालिक/ निदेशक/ पार्टनर द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित होना चाहिए। सत्यनिष्ठ समझौता संविदा अवधि अथवा इसकी विस्तारित अवधि के दौरान लागू रहेगा। यदि सफल निविदाकर्ता द्वारा निगम की अनुमति से इसे किसी अन्य को सौंपा जाता है, तब उप-ठेकेदार द्वारा सत्यनिष्ठ समझौता के अनुपालन की जिम्मेदारी मूल ठेकेदार/सहनिविदाकर्ता को लेनी होगी।
- 9.2 सत्यनिष्ठ समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति आईईएम के पास मुद्दों में पक्ष रखते समय न्यायालयन हीं जाएगा और वह मामले में उनके निर्णय तक प्रतीक्षा करेगा/करेगी।
- 9.3 सत्यनिष्ठ समझौते के तहत अनुपालन हेतु, हमने इंडीपेंडेंट एक्सटरनल मॉनीटर (आईईएम) की नियुक्ति की है। वर्तमान आईईएम का नाम, ई-मेल तथा संपर्क ब्यौरे हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
- 9.4 संगठन की गैर-नीतिगत नियमों/पद्धतियों से संबंधित विषयों के लिए हितधारक आईईएम से संपर्क कर सकते हैं।

- 9.5 प्राप्त की गई सभी शिकायतों की आईईएम जांच करेगा।
- 9.6 आईईएम से इच्छुक बोलीदाता द्वारा निविदा के ऐसे किसी भी पहलु से संबंधित उठाए गए मुद्दों को सुलझाने की अपेक्षा की जाती है जिसमें प्रतियोगिता बंधित हो या कुछ बोलीदाताओं के प्रति दोहरा रवैया अपनाया गया हो।
- 9.7 विक्रेता/ बोलीदाता जिन्हें निविदा के किसी भी चरण पर उससे संबंधित कोई आपत्ति/शिकायत हो, वे सीधे आईईएम से संपर्क कर सकते हैं, तथापि, इसके लिए ईमेल को प्राथमिकता दी जाती है। आईईएम तुरंत और स्वतंत्र रूप से उनकी आपत्तियों/शिकायत की सुनवाई करेगा।
10. **एमएसएमई अधिनियम** – एमएसएमई अधिनियम-2012 तथा तदुपरांत जारी संशोधनों के अनुसार, एल-1+ 15% के भीतर उद्धत लागत बैंड सहित निविदागत कुल मात्रा का 25 प्रतिशत एमएसएमई में पंजीकृत ठेकेदारों के लिए आरक्षित होगी, बशर्ते वे एल-1 की लागत पर आपूर्ति करने के लिए सहमत हों। निविदागत मात्रा के 20 प्रतिशत में 20 प्रतिशत अनु.जाति/अनु.जनजाति श्रेणी के एमएसएमई उद्यमियों के लिए आरक्षित होगी। इसके अतिरिक्त, 3 प्रतिशत (25 प्रतिशत का) महिला उद्यमियों सहित एमएसई के लिए आरक्षित होगा। मात्रा आबंटित करने के लिए, ठेकेदार को निविदा की तकनीकी-वित्तीय बोली के साथ वैध एमएसएमई प्रमाण-पत्र (अनु.जाति/अनु.जनजाति, यदि कोई है) जमा करना होगा। यह केवल तभी संभव होगा यदि एल-1 बोली दाता एमएसएमई में पंजीकृत नहीं है। ऐसे एक से अधिक एमएसएमई की स्थिति में, मात्रा आनुपातिक आधार पर बांटी जाएंगी।
11. **उभरते उद्योग** – जिन उद्योगों ने विगत 3 वर्षों के दौरान व्यापार करना आरंभ किया है, उनके लिए उनकी साख से संबंधित दस्तावेज जैसे विगत 3 वर्षों के लेखा परीक्षित तुलनपत्र, आपूर्ति किए गए सामान के लिए निष्पादन प्रमाण-पत्र आदि निविदा के पात्रता मानदंडों को पूरा करने के उद्देश्य के लिए अनिवार्य नहीं होंगे। वे उन वित्तीय वर्षों के लिए दस्तावेज जमा कर सकते हैं जिनके दौरान उनका विनिर्माण संयंत्र प्रचालनरत था। तथापि, संयंत्र एवं मशीनरी आदि की सूची एवं दस्तावेज जमा करना अपेक्षित हैं।

भाग – 2 सामान्य निबंधन एवं शर्तें

1.0 बयाना/ धरोहर राशि :

- 1.1 निगम में पंजीकृत निविदाकर्ताओं सहित सभी निविदाकर्ताओं कोई-भुगतान (ई-टेंडरिंग पोर्टल गेटवे) के माध्यम से) यथा उल्लिखित बयाना / धरोहर राशि सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के नाम जमा करवानी चाहिए। निविदा में यथा उल्लिखित बयाना/धरोहर राशि के बिना प्राप्त निविदा को निरस्त कर दिया जाएगा। किसी निविदा के प्रति निगम के पास उपलब्ध अथवा लंबित किसी अन्य संविदा की राशि को इस निविदा के लिए सामान्यतः समायोजित/विचार नहीं किया जाएगा।
- 1.2 यदि वैधता अवधि अथवा विस्तारित अवधि के दौरान दरों को बढ़ाने के लिए उन्हें संशोधित/परिवर्तित किया जाता है, तब बयाना/ धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। बयाना /धरोहर राशि उस स्थिति में भी जब्त कर ली जाएगी यदि एलओआई की तिथि के 15 दिन के भीतर सिक्योरिटी जमा नहीं की जाती है अथवा सीसीआई द्वारा निविदाकर्ता के ऑफर की स्वीकृति के बाद कार्य आरंभ नहीं किया जाता है।
- 1.3 बयाना / धरोहर राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
- 1.4 सफल निविदाकर्ताओं की बयाना/ धरोहर राशि सिक्योरिटी डिपॉजिट / सुरक्षा राशि से समायोजित की जाएगी और अन्य निविदाकर्ताओं की बयाना / धरोहर राशि, मूल्य बोली के खुलने की तिथि से 30 दिन के भीतर लौटा दी जाएगी। यह बात उपर्युक्त खंड 1.2 और नीचे वर्णित खंड 2.3 के मामले में लागू नहीं होगी।
- 1.5 लोक उद्यम (केन्द्र/राज्य सरकार) तथा एनएसआईसी एवं एमएसएमई में पंजीकृत इकाईयों को बयाना राशि जमा करने से छूट दी गई है। एमएसएमई तथा एसएसआई इकाईयों को निविदा दस्तावेज के साथ एनएसआईसी में पंजीकृत होने का दस्तावेजी प्रमाण संलग्न करना होगा।

2.0 सिक्योरिटी डिपॉजिट / सुरक्षा राशि:

- 2.1 ऑफर स्वीकार करने की तिथि के 15 दिन के भीतर अर्थात् दर संविदा/पी.ओ. जारी करने की तिथि से निविदा /एलओआई के विशेष नियम एवं शर्तों में उल्लिखित सिक्योरिटी डिपॉजिट / सुरक्षा राशि की राशि सफल बोलीदाता को जमा करनी होगी।
- 2.2 जैसे कि 2.1 में उल्लेख किया गया है, निविदा की शर्तों के अनुरूप सिक्योरिटी डिपॉजिट/ सुरक्षा राशि जमा करने में विफल रहने पर इसे संविदा का उल्लंघन माना जाएगा जो निगम को संविदा निरस्त करने तथा बयाना/ धरोहर राशि जब्त करने का अधिकार प्रदान करेगा। संविदा के इस प्रकार उल्लंघन करने पर निगम को सफल निविदाकर्ता के विरुद्ध जैसा उचित समझा जाएगा, कार्रवाई करने का हक होगा जैसे व्यापारिक लेन-देन बंद करना/निविदा प्रक्रिया से प्रतिबंधित करना आदि।

- 2.3 सिक्योरिटी डिपॉजिट / सुरक्षा राशि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से नकद/डीडी/बीजी/एफडीआर द्वारा सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम बनवाकर जमा की जा सकती है जो संविदा पूर्ण होने की तिथि से 6 महीने के लिए वैध होनी चाहिए तथा जिसका इस अवधि से 3 महीने आगे तक भी दावा किया जा सकता है। सफल निविदाकर्ता के मामले में बैंक ड्राफ्ट के रूप में उसकी बयाना/ धरोहर राशि को सिक्योरिटी डिपॉजिट / सुरक्षा राशि के अंश के रूप में समायोजित किया जाएगा।
- 2.4 यदि सफल बोलीदाता के ऑफर की स्वीकृति के बाद कार्य आरंभ नहीं किया जाता है, तब उसकी ईएमडी/एसडी जब्त कर ली जाएगी।
- 2.5 संविदा के मूल्य में किसी प्रकार के अनुमोदित उत्तरोत्तर संशोधन की स्थिति में, सफल बोलीदाता इसकी सूचना मिलने पर संविदा के बड़े हुए मूल्य के प्रति निगम द्वारा यथा विनिर्दिष्ट जमा सुनिश्चित करेगा।
- 2.6 सिक्योरिटी डिपॉजिट / सुरक्षा राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। निगम के पास सफल निविदाकर्ता की सिक्योरिटी डिपॉजिट / सुरक्षा राशि को किसी ऐसी देय राशि से समायोजित करने का अधिकार सुरक्षित है जो उसके पास किसी अन्य संविदा के तहत जमा है, तथा ऐसी स्थिति में सफल निविदाकर्ता को निगम से नोटिस मिलने पर संपूर्ण राशि के बराबर सिक्योरिटी डिपॉजिट / सुरक्षा राशि की पुनः भरपाई करनी होगी।
- 2.7 यदि सफल निविदाकर्ता सौंपे गए कार्य को सहमत समय सीमा के अनुसार निष्पादन करने में या संविदा की अनिवार्यताओं को पूरा करने में असफल रहता है अथवा निगम को देय राशि का निपटान करने में विफल रहता है तब निगम के पूर्ण विवेकानुसार उसकी सिक्योरिटी पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से जब्त करने के लिए उत्तरदायी होगी।
- 2.8 निविदा/संविदा की किसी भी शर्त में विफल रहने पर या कार्य निष्पादन में विलंब के कारण निगम को हुए नुकसान या हानि की भरपाई के लिए निगम को यह अधिकार है कि वह सिक्योरिटी डिपॉजिट अथवा किसी अन्य बकाया राशि से उस राशि की कटौती कर सकता है जो निगम द्वारा निश्चित की जा सकती है। तथापि, निगम ऐसी किसी हानि या क्षति को सिद्ध करने के लिए बाध्य नहीं होगा।
- 2.9 निगम का ऐसी समस्त राशि या किसी राशि पर धारणाधिकार होगा जो इस संविदा या किसी अन्य संविदा या अन्य प्रकृति की लेन-देन के तहत केवल ठेकेदार या अन्य पक्षों के नाम संयुक्त रूप से बकाया एवं देय होगी जब तक कि ठेकेदार निगम द्वारा मांग करने पर उसका तुरंत भुगतान कर उसका समाशोधन नहीं कर दे, ऐसी स्थिति में निगम को ठेकेदार द्वारा जमा की गई किसी राशि/ सिक्योरिटी डिपॉजिट / सुरक्षा राशि से उक्त राशि की किसी भी समय कटौती करने का अधिकार होगा जो इस संविदा के तहत भविष्य में ठेकेदार के नाम अथवा ठेकेदार तथा निगम के बीच किसी अन्य संविदा या लेन-देन करते समय बिना किसी पूर्वाग्रह के देय हो सकती है तथा निगम को अन्य वैधानिक उपबंधों द्वारा ऐसी किसी भी दावे के चलते की गई राशि की वसूली करने का भी अधिकार होगा।
- 2.10 इस संविदा के तहत यथा अपेक्षित बैंक गारंटी अथवा निगम को दिए गए किसी भी अग्रिम के प्रति सहमत राशि के लिए संविदा/उपकरण कार्य क्षमता / गारंटी इत्यादि कार्य को अंतिम रूप दिए जाने, निष्पादन आदि की अवधि को कवर करने से संबंधित प्रश्न पूछे बिना निगम की आवश्यकतानुसार इसे बढ़ा दिया जाएगा। ऐसा न करने पर किसी प्रकार के बकाया, वसूली, आई.डी. इत्यादि से बैंक गारंटी भुनाई जा सकती है।

3.0 निगम के सदस्यों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व:

इस संविदा के तहत सभी कार्यो, मामलों अथवा वस्तुओं में दोष अथवा चूक के दृष्टिगत होने पर निगम का कोई भी निदेशक अथवा कर्मचारी किसी भी रूप में जवाब देह नहीं होंगे और नही निगम के किसी कार्य अथवा बाध्य ताओं के लिए वैयक्तिक तौर पर जिम्मेदार होंगे।

4.0 वैयक्तिक प्रतिवेदन द्वारा निगम बाध्य नहीं है:

निगम के किसी भी कर्मचारी को दरों में बढोतरी को लेकर ठेकेदार को दिए गए प्रतिवेदन, स्पष्टीकरण अथवा कथन या कथित प्रतिवेदन, वचन या आश्वासन न देने या दिए जाने के लिए ठेकेदार को किसी भी तरह का अधिकार या दावा करने का हक नहीं होगा।

5.0 संविदा का गैर-निष्पादन /संविदा का निरस्तीकरण/निगम का अधिकार:

- 5.1 यदि ठेकेदार संविदा तथा निगम के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दिए गए अनुदेशों के अनुसार उसे सौंपे गए कार्यो को निष्पादित करने में विफल रहता है, तब निगम के पास संविदा निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है। इसके अतिरिक्त ऐसी स्थितियों में निगम अन्य प्रकार के सुधारात्मक कदम भी उठा सकता है।
- 5.2. निविदाकर्ताओं उनके पार्टनर एजेंटों या नौकरों की ओर से इस संविदा की प्राप्ति या किसी अन्य संविदा के निष्पादन या संविदा के तहत भुगतान प्राप्त करने के लिए निगम के किसी अधिकारी या प्रतिनिधि को रिश्वत, कमीशन, उपहार या लाभ दिया गया है, वचन दिया गया है या ऐसी कोई पेश-कश की गई है तब आपराधिक दायित्व के अतिरिक्त निगम को निविदाकर्ता की निविदा रद्दकरने तथा इस संविदा या किसी अन्य संविदा के तहत उसे किए जाने भुगतान की राशि से कटौती करने का अधिकार होगा। इस उपबंध के तहत किसी प्रश्न अथवा विवाद के चलते निविदाकर्ताओं का कोई दायित्व बनता है या नहीं, का निपटारा निगम द्वारा सूचना के पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर जैसा उचित समझा जाएगा किया जाएगा तथा इस संबंध में निगम का निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा।
- 5.3 किसी प्रकार की बाध्य परिस्थितियों अथवा निगम की द्रष्टि में किसी अन्य कारण के लिए निष्पादन के दौरान यदि संविदा को निर्धारित एवं निरस्त करने की आवश्यकता पड़ती है, तब लिखित में एक मास का नोटिस देते हुए निगम को ऐसा करने का हक होगा। ऐसी स्थिति में समस्त बकाया राशि, वसूली एल.डी., यदि कोई है, आदि की पूर्ति करने के उपरांत संविदा दरों पर निष्पादित वास्तविक कार्य के भुगतान को छोड़कर ठेकेदार द्वारा की गई किसी भी व्यवस्था अथवा उसकी किसी देयताओं के लिए या उसके कारण हुए नुकसान की क्षति पूर्ति निगम द्वारा नहीं की जाएगी। सीसीआई के पास किसी भी बाध्य कारण के लिए संविदा को निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित है यदि निगम की राय में ऐसा करना अपेक्षित लगता है। ऐसी स्थिति में, कार्य पूर्ण करने के समय को निलंबन अवधि तक बढ़ाया जाएगा किंतु ऐसा करते समय किसी क्षति, दरों में वृद्धि, बेकार मजदूरी, मशीनरी आदि के भुगतान हेतु ठेकेदार के किसी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

5.4 निगम के पास निविदा द्वारा ऐसी मात्राओं की खुले बाजार से जोखिम खरीद करने या आपूर्तिकर्ता के जोखिम एवं खर्च पर खुले बाजार से खरीद करने का अधिकार सुरक्षित है, जिन्हें आपूर्तिकर्ता सहमत की गई सुपुर्दगी अनुसूची के अनुसार पूरा करने में असमर्थ रहा है, लेकिन इसके लिए निगम द्वारा आपूर्तिकर्ता को एक महीने पहले नोटिस देना होगा।

6.0 – संविदा कार्य का अन्य ठेकेदारों से निष्पादन:

ठेकेदार इस संविदा या इसके किसी अंश को निगम की पहले से लिखित अनुमति लिए बिना किसी अन्य ठेकेदार को देगा या उससे पूरा करवाएगा। ऐसी अनुमति लिए बिना यदि संविदा या उसके किसी अंश को ठेकेदार द्वारा किसी अन्य ठेकेदार को दिया जाता है तब निगम के पास संविदा को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा तथा ठेकेदार ऐसे रद्दीकरण के परिणामस्वरूप निगम को हुए नुकसान अथवा क्षति की क्षतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार होगा। यहां तक कि यदि निगम द्वारा संविदा कार्य को किसी अन्य ठेकेदार से पूरा करवाने की अनुमति भले ही दे दी गई हो, तब भी जिस पार्टी को यह कार्य सौंपा गया है वह निगम के अनुमोदन के अधीन होगा। तथापि, निगम ऐसे व्यक्तियों या ऐसी पार्टी के साथ संविदात्मक बाध्यताओं को मान्यता नहीं देगा जिन्हें संविदा कार्य दिया जाएगा और इसमें श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत क्षतिपूर्ति भी शामिल है और ठेकेदार को संविदा के संतोषजनक, समय पर और समुचित निष्पादन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

7.0 गठन में परिवर्तन:

7.1 यदि ठेकेदार एक पार्टनरशिप फर्म है तब संविदा निष्पादन तथा उसके द्वारा समस्त दायित्वों को स्वीकार करने से संबंधित वचन पत्र देने पर निगम की पूर्व लिखित अनुमति मिलने पर ही फर्म / कंपनी में कोई न या पार्टनर ऐसे वचन पत्र की तिथि से पहले संविदा के तहत शामिल किया जा सकता है।

7.2 संविदा निष्पादन एवं प्रदर्शन से पूर्व यदि ठेकेदार की फर्म के किसी पार्टनर की मृत्यु या सेवानिवृत्ति होती है तब निगम अपने विकल्पानुसार संविदा रद्द कर सकता है और ऐसी परिस्थिति में ठेकेदार को हुए नुकसान के लिए निगम के विरुद्ध किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति हेतु दावे करने का अधिकार नहीं होगा।

7.3 संविदा के तहत अधिकारों एवं उपचारों के पूर्वाग्रह के बिना यदि ठेकेदार का कोई मालिकाना विवाद है, और संविदा अवधि के दौरान मालिक की मौत हो जाती है तब निगम के पास परिणामजनक हानि आदि के लिए किसी भी दावाकर्ता अर्थात् वारिस एवं उत्तराधिकारियों को क्षतिपूर्ति किए बिना इस संविदा को रद्द करने का विकल्प होगा।

8.0 प्राकृतिक अवरोध या बलात अवरोध की स्थितियां:

8.1 यदि किसी समय समझौता / संविदा के जारी रहने के दौरान युद्ध, युद्ध जैसे हालात, हड़ताल, तालाबंदी, दंगे, नागरिक विद्रोह, महामारी, बीमारी भूकंप, आग लगने, तूफान या बाढ़ के कारण ऐसी आकस्मिकताओं के दौरान ठेकेदार समझौता / संविदा की समय सूची के अनुसार संविदा निष्पादन के लिए बाध्य नहीं होगा। जैसे ही ये आकस्मिकताएं समाप्त हो जाएंगी, कार्य तुरंत आरंभ कर दिया जाएगा अथवा निष्पादन पुनः जारी करने के बाद संगत विस्तारित अवधि के लिए संविदा निष्पादन की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। तथापि, ठेकेदार ऐसी घटनाओं के परिणामस्वरूप हुई विलंब के उपरोक्त कारणों के आरंभ में और बलात अवरोध अर्थात् प्राकृतिक आपदा की समाप्ति के 10 दिन के भीतर निगम को सूचित करेगा।

- 8.2 प्राकृतिक अवरोध के चलते एक मास से अधिक विलंब की स्थिति में, निगम के पास क्षतिपूर्ति किए बिना और/या परिणामस्वरूप किसी प्रकार के नुकसान आदि की भरपाई किए बिना ऑर्डर / आदेश/संविदा को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।
- 8.3 केवल ऐसे प्राकृतिक अवरोधों पर ही ध्यान दिया जाएगा जिसके घटित होने के समय कार्य प्रभावित होता है। प्राकृतिक अवरोध के तहत विलंब के कारण अतिरिक्त लागत अथवा बढी हुई दर के लिए भुगतान हेतु निगम उत्तरदायी नहीं होगा। इसके लिए केवल उपयुक्त समयावधि बढ़ाए जाने की स्वीकृति दीजाएगी।

9.0 नोटिस :

- 9.1 यहां एतद्वारा ठेकेदार के अंतिम ज्ञात पते पर पंजीकृत डाक/मेल से कोई भी नोटिस भेजा जा सकता है। इस पते पर ऐसे किसी भी नोटिस का प्रमाण ठेकेदार द्वारा नोटिस प्राप्ति के लिए अंतिम माना जाएगा।

10.0 संविदा के तहत विवाद एवं मध्यस्था:

- 10.1 इस करार के तहत इसके अर्थ एवं निबंधन व शर्तों की सीमा अथवा इसके किसी भी विषय से संबंधित उठने वाले किसी प्रश्न/विवाद, मतभेद की स्थिति में (केवल उन मामलों को छोड़कर जिनका निर्णय इन निबंधन एवं शर्तों के प्रावधानों के अनुसार किया जाना है), के लिए मध्यस्था एवं परामर्श अधिनियम, 1996 की धारा 8 एवं 11 में निर्धारित प्रावधानों का संदर्भ लिया जाएगा।
- 10.2 मध्यस्थ को भेजे गए ऐसे प्रत्येक दावे, विवाद अथवा मतभेद के संबंध में वह कारण सहित निर्णय देगा यदि विवाद का मूल्य 50,000/- रु. से अधिक है। इस संविदा के प्रति मध्यस्थ का निर्णय दोनों पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- 10.3 मध्यस्था एवं कौंसिलेशन अधिनियम, 1996 तथा उसके तहत नियमों और समय-समय पर जारी सांविधिक संशोधनों के अंतर्गत इस उपबंध के तहत मध्यस्था कार्यवाहियां लागू रहेंगी।
- 10.4 मध्यस्थता की कार्यवाहियों के लंबित होने के दौरान संविदा के तहत कार्य को निर्बाध रूप से जारी रखा जाएगा और मध्यस्थता के तहत मामले से संबंधित एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को देय भुगतान नहीं रोका जाएगा।
- 10.5 मध्यस्था का स्थान नई दिल्ली अथवा ऐसा कोई स्थान होगा जिसे मध्यस्था ट्रिब्यूनल अपने विवेकानुसार निर्धारित कर सकता है।
- 10.6 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम(CPSE) / पोर्टट्रस्ट के बीच और CPSE और सरकारी विभागों / संगठनों(रेलवे से सम्बंधित विवादों को छोड़कर) के बीच वाणिज्यिक अनुबंध के प्रावधानों की व्याख्या और आवेदन से सम्बंधित किसी भी विवाद या अंतर की स्थिति में, आयकर, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क विभाग), ऐसे विवाद या अंतर को AMRCD के माध्यम से समाधान के लिए किसी भी पक्ष द्वारा लिया जाएगा, जैसा कि DPE OM No. 4(1)/2013 – DPE(GM)/FTS – 1835 दिनांक 22.05.2018 में उल्लिखित है।

11.0 अधिकार क्षेत्र:

11.1 यहां एतद्वारा दोनों पक्षों द्वारा सहमति व्यक्त की जाती है कि इस समझौते के चलते उत्पन्न होने वाले किसी विवाद के निपटारे या सुलझाने के लिए केवल निम्नलिखित न्यायालयों को ही अधिकार होगा :-

- क) मुख्यालय हेतु दिए गए अनुबंध के लिए दिल्ली / नई दिल्ली कोर्ट |
- ख) बोकाजन यूनिट दिए गए अनुबंध के लिए दीपू / गुवाहाटी कोर्ट |
- ग) राजबं यूनिट हेतु दिए गए अनुबंध के लिए पोंटा साहिब/ शिमला कोर्ट |
- घ) तांदुर यूनिट हेतु दिए गए अनुबंध के लिए तांदुर /हैदराबाद कोर्ट |

12.0 संविदा को नियंत्रित करने से संबंधित कानून:

12.1 यह संविदा भारत में प्रचलित कानूनों द्वारा नियंत्रित होगा।

13.0 निगम के अधिकार को खंडित न करने की छूट:

13.1 इस संविदा के अंतर्गत किसी भी चूक पर निगम के किसी भी अधिकार, शक्तिया उपाय का प्रयोग करने में भूल या चूक के कारण विलम्ब की स्थिति में ऐसे किसी अधिकार, शक्तिया प्रतिकार या ऐसे किसी भी मामले में निगम की निष्क्रियता नहीं माना जाएगा जो निगम की निष्क्रियता के कारण हो सकती है।

14.0 निविदाकर्ता द्वारा रखी गई शर्तें:

14.1 इस निविदा में वर्णित निबंधन एवं शर्तों के स्वीकार करने के साथ ही यदि निविदाकर्ता इनके विपरीत कोई भी निबंधन एवं शर्त रखता है तब उन्हें निविदाकर्ता(ओं) द्वारा वापस लिया हुआ माना जाएगा।

15.0 अन्य वाणिज्यिक निबंधन एवं शर्तें

15.1 मूल्य:

- क) संविदा अवधि के दौरान उद्धृत मूल्य जीएसटी सहित यथावत रहेंगे अर्थात एफ.ओ.आर. / एफ.ओ.टी./अग्रेषण स्टेशन / गंतव्य स्थान, जैसी भी स्थिति हो।
- ख) अनुसूचित सुपुर्दगी की तारीख को प्रचलित दरों पर अथवा आपूर्ति की तारीख को प्रचलित दरों पर, जो भी कम हो, आदेशित मद (पूर्ण रूपेण तैयार मदों के लिए जिन दरों को उद्धृत किया जाता है) पर जीएसटी में सांविधिक शुल्क / बदलाव निगम द्वारा वहन किया जाएगा। आपूर्तिकर्ता को दस्तावेजी साक्ष्य अर्थात इस प्रकार के शुल्क / बदलाव से संबंधित अधिसूचना प्रस्तुत करनी होगी।
- ग) मूल्यस्थिर आधार पर उद्धृत किए जाएं तथा संविदा अवधि के दौरान इनमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा, बशर्ते संविदा में इसके लिए प्रावधान किया गया हो तथा विशेष रूप से सहमति व्यक्त की गई हो।

घ) यदि प्रेषण निर्धारित समय के भीतर किया जाता है, तो संविदा के अनुसार मूल्य देय होंगे। तथापि, प्रेषण में विलंब हुआ है तो निगम के पास यह विकल्प होगा कि वे प्रेषण की निर्धारित तारीख से संबंधित मूल्यों के आधार पर नुकसान की भरपाई करवाए अथवा प्रेषण की निश्चित तिथि से संबंधित प्रचलित मूल्यों के आधार पर हर्जाना या दर में अंतर की गणना करें अर्थात् जो भी अधिक हो जैसे आदेशितमान – नुकसान की राशिया प्रचलित दर जो भी कम हो, का भुगतान किया जाएगा। तथापि यदि संविदा की अवधि समाप्त होने के बाद प्रेषण किया जाता है, तो संविदा की वैधता बढ़ानी होगी। यदि किसी भी समय, उक्त अवधि के दौरान आपूर्तिकर्ता ऐसे भंडारों बिक्री मूल्य घटा देता है, या ऐसे भंडारों को संविदा के तहत प्रभार्य मूल्य से कम मूल्य पर किसी अन्य व्यक्ति को बेचता है, तो वह निगम और पीआईसी को इस प्रकार की कमी या बिक्री की सूचना तत्काल देगा तथा इस तरह की कमी या बिक्री लागू होने की तारीख के बाद आपूर्ति किए गए भंडारों के लिए संविदा के तहत देय मूल्य तदनुसार घटा दिए जाएंगे।

15.2 वस्तु एवं सेवाकर:

आईजीएसटी/ सीजीएसटी/ एसजीएसटी, यदि कोई लागू होता है तो आपूर्ति किए जा रहे तैयार माल की कीमत पर निर्धारित सुपुर्दगी अवधि के समय प्रचलित दर (%) के अनुसार उसका भुगतान किया जाएगा जो आपूर्तिकर्ता द्वारा उसे बिल में अलग से प्रस्तुत करने के अधीन होगा।

आपूर्तिकर्ता आईजीएसटी/ सीजीएसटी/ एसजीएसटी की उपरोक्त राशि का दावा हेतु प्रस्तुत किए गए बिल के साथ निम्नलिखित प्रमाण-पत्र लगाएगा।

“प्रमाणित किया जाता है कि जिस वस्तु के लिए जीएसटी चार्ज किया गया है, उसे जीएसटी अथवा उसके तहत गठित नियमों के अंतर्गत छूट प्राप्त नहीं है। उन वस्तुओं पर जीएसटी के नाम पर चार्ज की गई राशि उस राशि से अधिक नहीं है जो संबंधित अधिनियम अथवा उसके तहत गठित नियमों के प्रावधानों के अधीन भुगतान योग्य है।”

15.3 पैकिंग तथा मार्किंग:

क) ऐसी समस्त मशीनरी, उपकरण, हार्डवेयर का सामान तथा सामग्री जिस के खराब होने की संभावना अधिक होती है उसे लाने-लेजाने के दौरान सभी प्रकार की क्षति, मिलावट, जंग आदि से प्रतिरक्षित करने के लिए अच्छी तरह से पैक किया जाएगा। रेल/सड़क जैसा अपेक्षित होगा के द्वारा सामान लाने-लेजाने के लिए पैकिंग पर्याप्त एवं उपयुक्त होगी। प्रत्येक पैकेज पर प्रेषिती का ऑर्डर नं. तथा तिथि तथा नाम लिखा होगा।

ख) जहां एक खेप/केस के अंतर्गत एक से अधिक ऑर्डर / आदेश हों वहां प्रत्येक ऑर्डर से संबंधित सामग्री का प्रेषण केवल एक परचेज ऑर्डर से ही मेल खाना चाहिए और उसे अलग-अलग पैक करना चाहिए। सहज पहचान के लिए सभी पैकेजों के बाहर पर ऑर्डर नं. इस प्रकार लिखा जाए कि वह स्पष्ट दिखाई देना चाहिए।

ग) सामान लाने-लेजाने में दोषपूर्ण / अपर्याप्त पैकिंग अथवा किसी अन्य कारण के चलते किसी भी प्रकार के नुकसान, क्षति या चोरी के लिए आपूर्तिकर्ता जिम्मेदार होगा।

घ) सभी पैकिंग तथा अप्रेषण व्यय आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किए जाएंगे।

15.4 सुपुर्दगी तथा परिनिर्धारित नुकसान

- क) परचेज ऑर्डर/ खरीद आदेश की प्राप्ति पर सफल निविदाकर्ता ऑर्डर के अनुसार समग्र सुपुर्दगी अनुसूची को ध्यान में रखते हुए विस्तृत निर्माण अनुसूची को अंतिम रूप देगा। वह महत्वपूर्ण गतिविधियों के संपूर्ण होने की तिथि का उल्लेख करेगा तथा सीसीआई द्वारा अनुमोदन मिलने के उपरांत निर्माण हेतु मर्दों का कार्य हाथ में लेने पर ये प्रगति का जायज़ा लेने का आधार बनेंगी। अनुसूची की प्रतिलिपियां सामग्री प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त निरीक्षण प्राधिकारी को अग्रेषित की जाएंगी।
- ख) सुपुर्दगी में विलंब के लिए एलडी प्रति पाक्षिक राति अथवा किसी भाग के लिए प्रत्येक मांगपत्र के नाम विलंब से की गई आपूर्ति पर ½ % की दर से चार्ज की जाएगी जो उस मांगपत्र के नाम आपूर्तियों के विलंबित भाग का अधिकतम 5 % होगी। तथापि, निगम यह सिद्ध करने के लिए बाध्य नहीं होगा कि उसे दावाकृत एलडी की राशि का नुकसान हुआ है। सुपुर्दगी में विलंब के लिए एलडी सीसीआई की यूनिटों पर धारित लागत लगाया जाएगा जिसमें मौलिक कीमत, कर, शुल्क तथा मालभाड़ा आदि शामिल होगा।
- ग) सुपुर्दगी का समय व तिथि संविदा का सार तत्व है और विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन सामान समयावधि में ही पहुंचाया जाना चाहिए। संविदा के तहत इस प्रकार के उल्लंघन के लिए, निगम को आपूर्तिकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करने का ऐसा कोई भी अधिकार होगा जैसा उचित समझा जाएगा जैसे व्यापारिक लेनदेन बंद करना/निविदा प्रक्रिया इत्यादि से प्रतिबंधित करना।

15.5 मालभाड़ा:

- क) जिन भंडारों के लिए ऑर्डर/ आदेश दिए गए हैं उनका प्रेषण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि उनका कुल मालभाड़ा शुल्क चाहे क्यूबिक मापन के आधार पर हो या भार के आधार पर हो, वह न्यूनतम होना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए कि कम वजन की खेप से बचा जाए।
- ख) आपूर्तिकर्ता को स्पष्ट एवं शर्तहीन रेलवे रसीद/पार्सल वे बिल/कैरियर से लॉरी रसीद प्राप्त करनी होगी।
- ग) आपूर्तिकर्ता को क्रेता स्थल तक सभी ओवरसाइज़ माप वाली खेप के प्रेषण के लिए व्यवस्था करनी होगी, वह इसके लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार भी होगा। यदि आवश्यक हो तो यह अनुमति प्रेषण स्थल से गंतव्य स्थल के स्टेशन से इस प्रकार की ओवरसाइज़ खेप को भेजने के लिए लेनी होगी। इस संबंध में हुए सभी प्रकार का खर्च आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा।

15.6 चालान बनाना:

- क) रेलवे रसीद/लॉरी रसीद/पार्सल बिल, निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण प्रमाण-पत्र या उपरोक्त वर्णित कोई अन्य समान किस्म के दस्तावेज सहित रेलवे रसीद/लॉरी रसीद/पार्सल बिल (जिनमें से एक मूल प्रति हो) प्रेषित को भेजी जानी चाहिए। उपरोक्त दस्तावेज विलंब के कारण लगने वाले शुल्क /जुर्माना के भुगतान से बचने के लिए खेप भेजने के समय से 72 घंटों के भीतर भेज दिए जाने चाहिए। दस्तावेज न मिलने/विलंब से मिलने के कारण किसी भी शुल्क / जुर्माने के लिए निगम द्वारा किया भुगतान आपूर्तिकर्ता के खाते में डाला जाएगा।
- ख) सामान प्राप्तकर्ता को पहले से ही उस सामान के बारे में ईमेल भेजनी होगी जिसमें आरआर/लॉरी की रसीद/पार्सल बिल, खेप के विवरण जैसे पैकेजों की संख्या, वजन तथा मूल्य का उल्लेख होगा।

- ग) पैकिंग सूची, सुपुर्दगी चालान, निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा जारी निरीक्षण प्रमाण-पत्र सहित चालान की प्री-रिसीप्ट एक प्रतिलिपि भुगतान प्राधिकारी को भेजनी होगी। यदि दस्तावेज बैंक से भेजे जाने हैं, तब चालान की एक अग्रिम प्रतिलिपि खेप प्रेषण के 72 घंटों के भीतर भुगतान प्राधिकारी को भेजनी होगी।
- घ) पैकिंग सूची डिलीवरी चालान की एक प्रतिलिपि सहित इनव्हाइस की एक प्रतिलिपि उस अधिकारी को भेजी जाएगी जिसने ऑर्डर दिया है।
- ड) यदि आपूर्तिकर्ता द्वारा उपरोक्त वर्णित शर्तों के अनुपालन न करने के कारण खेप की सुपुर्दगी लेने में विलंब के परिणामस्वरूप अतिरिक्त शुल्क या हर्जाना देना पड़े तब उसकी वसूली आपूर्तिकर्ता से की जाएगी।

15.7 निरीक्षण:

- i) आपूर्तिकर्ता के कार्यस्थल पर प्रेषण पूर्व निरीक्षण सीसीआई के पूर्ण विवेकानुसार सीसीआई/यूनिट/किसीअन्यएजेंसीद्वाराहीकरवायाजाएगा।
- ii) निरीक्षण के लिए जब भी कोई मद उपलब्ध करवाई जाएगी तब ई-मेल/फैक्स के माध्यम से 15 दिन पहले सूचना देते हुए सभी कॉल कार्यस्थल से ही की जाएंगी न कि विक्री कार्यालय से, औरउन परआपूर्तिकर्ता की मुहर भी लगी होगी।
- iii) उप-ठेकेदार के कार्यस्थल पर आपूर्तिकर्ता के खर्च पर आपूर्तिकर्ता द्वारा निर्मित किए जा रहे सभी मदों और खरीदे गए किसी भी मद की जांच करना निरीक्षण में शामिल होगा।
- iv) आपूर्तिकर्ता निरीक्षण को सुविधाजनक बनाने तथा इसके चलते कार्य में विलंब से बचने के लिए निरीक्षण अधिकारी को समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराएगा जिनमें औज़ार, उपकरण तथा अन्य यंत्र शामिल होंगे।
- v) खेप के लिए जहां संभव होगा वहां बीआईएस मानकों के अनुसार परीक्षण किए जाएंगे तथा अन्य मामलों में वर्तमान इंजीनियरिंग पद्धतियों के अनुसार किए जाएंगे, रासायनिक विश्लेषण, भौतिक विशेषताओं, दृश्यिक निरीक्षण, गैर-चुंबकीय विशेषता, परीक्षण प्रमाण-पत्र तथा अन्य गैर-विनाशी परीक्षणों (यदि परचेज आर्डर में विनिर्दिष्ट हैं) आदि के लिए सामग्री की जांच की जाएगी। रासायनिक संरचना की जांच सत्यापन जहां संभव होगा वहां सीसीआई के विवेकानुसार सरकारी प्रयोगशाला/सरकार से अनुमोदित प्रयोगशाला/कोई अन्य प्रतिष्ठित प्रयोगशाला में ही की जाएगी।
- vi) निरीक्षक के पास कारणोचित समय में निरीक्षण करने, नमूना लेने, अन्य किस्म के माप अथवा रीडिंग लेने तथा किसी भी मद की प्रगति की जांच करने के लिए आपूर्तिकर्ता, उसके उप-ठेकेदार के परिसर/वर्कशॉप की सहज पहुंच होगी।
- vii) निरीक्षण में कच्चे माल की निर्माण प्रक्रिया की जांच, चरणबद्ध निरीक्षण (निष्पादन के दौरान सीसीआई द्वारा इंगित/अपेक्षित चरणों के अनुसार) तथा अंतिम निरीक्षण शामिल होगा। चरणबद्ध निरीक्षण के बारे में सभी विस्तृत रिकार्ड निर्माता के पास सदैव उपलब्ध रहेंगे तथा मांग करने पर सीसीआई निरीक्षण इन रिकार्ड की जांच करने के लिए स्वतंत्र होगा।

- viii) उप-ठेकेदारी के तहत प्राप्त किसी भी मद को निरीक्षण के लिए सीसीआई को सौंपने से पहले आपूर्तिकर्ता स्वयं उनका निरीक्षण करेगा। इस संबंध में आपूर्तिकर्ता उप-ठेकेदारी के तहत मदों के लिए निरीक्षण हेतु कॉल करते समय सभी दस्तावेजों के साथ-साथ अपनी निरीक्षण रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगा।
- ix) ऑर्डर/ आदेश मिलने के तुरंत बाद आपूर्तिकर्ता उन चरणों की पहचान करने के लिए सीसीआई के साथ निरीक्षण योजना तैयार करेगा जिनके लिए सीसीआई की जरूरतों को पूरा करने के लिए जांच की जानी है।
- x) अंतिम निरीक्षण तब किया जाएगा जब पेंटिंग से पहले सभी प्रकार से सामग्री/उपकरण तैयार होंगे। निरीक्षण की सीमा और किस्म उपकरण/मद की किस्म तथा उसके सामान्य प्रकार्यों पर निर्भर करेगी और इसमें विभिन्न प्रकार की मदें शामिल की जाएंगी जैसे विशिष्ट मापदंडों की जांच, भौतिक जांच, सीधी/सपाट और पूर्णतया तैयार एवं सुंदर माल, कम्पोनेंट की हार्डनेस की जांच करना, भार सहित/भार रहित परीक्षण, गतिज/स्थिर संतुलन/ रिसाव तथा हाइड्रोलिक परीक्षण, कान्ट्रेक्ट इम्प्रेषन, टूथ प्रोफाइल तथा बैकलाषआदि।
- xi) अंतिम निरीक्षण के समय निर्माता द्वारा निरीक्षक को सभी जांच दस्तावेज तथा अपने आंतरिक निरीक्षण के रिकार्ड उपलब्ध करवाने होंगे। इनमें निर्माण से संबंधित रिकार्ड, विनाशक तथा गैर-विनाशक परीक्षण, इम्पल्स परीक्षण आदि सम्मिलित होंगे।
- xii) यदि सामग्री प्रेषण से पूर्व निरीक्षक आपूर्तिकर्ता को कुछ सुधार करने का परामर्श देता है, तब उनके अनुदेशों का पालन किया जाएगा तथा सुधार किए बिना सामान नहीं भेजा जाएगा। सीसीआई के निरीक्षकों द्वारा किए जाने वाले निरीक्षण के तहत आपूर्तिकर्ता अथवा उसके उप-ठेकेदार या उप-आपूर्तिकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए सामान की गुणवत्ता के संबंध में दायित्वों से मुक्ति पाने का अधिकार नहीं होगा। सीसीआई के पास सामग्री को अस्वीकार करने का अधिकार होगा य दस्थलीय प्राप्ति उपरांत यह पाया जाता है कि सीसीआई द्वारा दिए गए परामर्षानुसार सुधार अथवा मापदंडों तथा गारंटी के अनुसार विनिर्दिष्ट निष्पादन नहीं किया गया।
- xiii) दूरस्थ स्थानों पर सुपुर्दगी किए जाने वाले सामान के लिए, आपूर्तिकर्ता मासिक रिपोर्ट भेजेगा जिसमें प्रत्येक मद/असेम्बली की ताजा स्थिति दर्शायी जाएगी, ताकि सीसीआई कार्य की प्रगति से अवगत हो सके।
- xiv) आपूर्तिकर्ता के कार्यों के चरण/अंतिम निरीक्षण के होते हुए भी सीसीआई के पास वस्तुओं के स्थलीय निरीक्षण या जांच करने का अधिकार सुरक्षित है, तथा दृष्टिगोचर किसी भी दोष/कमियों को संविदा की समयावधि के अनुसार आपूर्तिकर्ता को अपने खर्च पर ठीक करना होगा।
- xv) सीसीआई के पास खरीदी गई किसी भी वस्तु की जांच करने का अधिकार सुरक्षित है, तथा इस संबंध में आपूर्तिकर्ता सभी आवश्यक रिकार्ड, डाटा और दस्तावेज प्रस्तुत करेगा ताकि सीसीआई निरीक्षण कार्य कर सके।
- xvi) सीसीआई के निगमित कार्यालय से क्लेयरेंस लिए बिना किसी भी परिस्थिति में कोई भी सामान बाहर नहीं भेजा जाएगा।
- xvii) निरीक्षण/जांचसेजुडीसभीलागतआपूर्तिकर्ता द्वारा वहन की जाएंगी।

15.8 आपूर्तिगत सामग्री की गुणवत्ता से संबंधित वारंटी:

क) आपूर्तिकर्ता गारंटी देगा कि उनके द्वारा आपूर्ति की गई सभी मर्दें क्या उनके द्वारा निर्मित हैं, या उप-ठेकेदार से निर्मित करवाई गई हैं या किसी अन्य स्रोत से निगम को उपलब्ध करवाई हैं तथा ये खराब सामग्री अथवा निर्माण दोष से होने वाली किसी भी खराबी से मुक्त हैं। आपूर्तिगत सामान बेहतरीन डिजाइन सहित उच्च कोटि की कारीगरी से परिपूर्ण होगा।

ख) सामग्री के उपयोग की तिथि से 12 मास की अवधि या मद(ओं) के प्रेषण की तिथि से 18 मास के भीतर, जो भी पहले घटित हो, उपरोक्त वर्णित किसी भी खराबी के कारण कोई कम्पोनेंट अथवा मद का कोई पुर्जा खराब हो जाता है तब आपूर्तिकर्ता फैक्टरी स्थल पर उसे निःशुल्क बदलने, सुधारने या मरम्मत करने की वारंटी प्रदान करेगा। यदि आपूर्तिकर्ता उपरोक्त का अनुपालन समय रहते नहीं करता है, तब निगम के पास आपूर्तिकर्ता को तीन सप्ताह का नोटिस देने के बाद खराब पुर्जा(ओं) / कम्पोनेंट ठीक करने/मरम्मत करने या नया लगवाने तथा आपूर्तिकर्ता से उसकी लागत की वसूली करने का विकल्प होगा।

15.9 सीसीआई के पास सामग्री को उसकी किसी भी अन्य यूनिट को भेजने के लिए मार्ग परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है। कर तथा मालभाड़ा शुल्क, यदि कोई हो, में अंतर का खर्च सीसीआई द्वारा किया जाएगा।

15.10 विचार-विमर्श की स्थिति में केवल दरों को कम करने की ही अनुमति होगी। पूर्व में सहमत तकनीकी-वित्तीय शर्तों में किसी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति इस चरण पर नहीं दी जाएगी। अतः मूल्य बोली संशोधित/विचार-विमर्श ऑफर में किसी प्रकार की अर्हक टिप्पणियों पर विचार नहीं किया जाएगा और निविदा निरस्त तथा बयाना / धरोहर राशि जब्त की जा सकती है।

16. गैर प्रसूति खंड:

क) एतद्वारा अथवा अन्यत्र किसी बात के निहित होते हुए भी सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा लिया गया निर्णय वर्तमान निविदा दस्तावेज तथा प्रक्रियाओं सहित सभी संबंधितों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।

(बोलीदाता के लैटर हेड पर)

कवरिंग लैटर

सेवा में,

..... (निविदा प्राधिकरण)

सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,

.....(यूनिट का पता / निगम कार्यालय)

बोलीदाता का सन्दर्भ नं.:

महोदय,

आपकी NIT No. दिनांक, के सन्दर्भ में मैं /हम यहाँ आपके सन्दर्भ के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन कॉपी ऑनलाइन अपलोड कर रहा /रहे हैं/ हैं:

क्र. सं.	सामग्री	हाँ / नहीं / लागू नहीं
1.	कवरिंग लैटर की स्कैन कॉपी (अनुलग्नक-1)	
2.	बयाना राशि जमा करना (कैश/डीडी/बीजी/गेटवे)	
3.	जीएसटी पंजीकरण तथा पैन कार्ड की कॉपी	
4.	साझेदारी विलेख/ ज्ञापन एवं संस्था के अनुच्छेद	
5.	पिछले तीन वित्तीय वर्षों की बैलेंस शीट	
6.	हस्ताक्षरित तथा भरे हुए सत्यनिष्ठ समझौते की स्कैन कॉपी (अनुलग्नक -2)	
7.	उद्योग आधार नम्बर (एमएसएमई बोलीदाता के लिए)	
8.	अनुलग्नक 3 (सीसीआई अधिकारी के साथ संबंध की घोषणा)	
9.	अनुलग्नक 4 (अप्रमाणित / वर्तमान अनुबंध /हाथ में कार्य)	
10.	अनुलग्नक 5 (बोलीदाता की कंपनी / कंपनी का प्रोफाइल)	
11.	अनुलग्नक 6 (संयंत्र और मशीनरी का विवरण)	
12.	अनुलग्नक 7 (स्थापित परीक्षण सुविधाओं के ब्यौरे)	
13.	अनुलग्नक 8 (पिछले तीन वर्षों के दौरान सीसीआई सहित निष्पादित आदेश का विवरण)	
14.	अनुलग्नक 9 (जीटीसी को पढ़ने और समझने का घोषणा पत्र)	

(बोलीदाता / ठेकेदार के लिए और उनकी ओर से)
(कार्यालय की मोहर)

सत्यनिष्ठ समझौता

यह सत्यनिष्ठ समझौता सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई) जो अब एतद्वारा "प्रिंसिपल" संदर्भित होगा तथा जो अब एतद्वारा "बोलीदाता/ठेकेदार" संदर्भित होगा,

के बीच किया जाता है।

प्रस्तावना :

प्रिंसिपल निर्धारित संगठनात्मक प्रक्रियाओं के तहत संविदाओं को सौंपने के लिए अभिच्छुक होगा। प्रिंसिपल भूमि, के संगत कानूनों, नियमों, विनियमों, संसाधनों के समुचित उपयोग तथा बोलीदाता(ओं) और/या ठेकेदार(ओं) के साथ अपने संबंधों में स्पष्टता/पारदर्शिता हेतु संपूर्ण अनुपालन करेगा। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रिंसिपल एक स्वतंत्र बाह्य मॉनीटर (आईईएम) नियुक्त करेगा जो उपर्युक्त वर्णित सिद्धांतों के अनुपालन के लिए निविदा प्रक्रिया तथा संविदा निष्पादन की निगरानी करेगा।

खंड1 –प्रिंसिपल की वचनबद्धता

(1) भ्रष्टाचार रोकने के लिए वह समस्त उपाय अपनाने तथा निम्नलिखित सिद्धांतों का अनुपालन करने के लिए स्वयं को वचनबद्ध करता है:-

क) प्रिंसिपल का कोई भी कर्मचारी वैयक्तिक या परिवार के सदस्यों के माध्यम से निविदा से संबंधित या संविदा निष्पादन हेतु स्वयं अथवा किसी तीसरे व्यक्ति के लिए ऐसे किसी मूर्त या अमूर्त लाभ की मांग नहीं करेगा, वचन नहीं देगा या स्वीकार करेगा, जिसके लिए वह कानूनी रूप से हकदार नहीं है।

ख) निविदा प्रक्रिया के दौरान प्रिंसिपल सभी बोलीदाताओं के साथ समानता एवं कारणोचित व्यवहार करेगा। प्रिंसिपल विशेषकर निविदा प्रक्रिया से पहले एवं उसके दौरान, सभी बोलीदाताओं को समान सूचना उपलब्ध करवाएगा तथा किसी भी बोलीदाता को ऐसी कोई भी गोपनीय अतिरिक्त सूचना उपलब्ध नहीं करवाएगा जिसके कारण बोलीदाता(ओं) को निविदा प्रक्रिया अथवा संविदा निष्पादन से संबंधित कोई लाभ पहुंच सके।

ग) प्रिंसिपल इस प्रक्रिया से सभी ज्ञात पूर्वाग्रहियों को बाहर कर देगा ।

(2) यदि प्रिंसिपल को अपने किसी भी कर्मचारी के आचरण से संबंधित सूचना प्राप्त होती है जो आईपीसी/पीसी अधिनियम के तहत अपराध है अथवा इसके बारे में उसे संदेह है, तब प्रिंसिपल मुख्य सतर्कता अधिकारी को सूचित करेगा और साथ ही अनुशासनिक कार्रवाई भी करेगा ।

खंड 2- बोलीदाता(ओं) / ठेकेदार(ओं) की वचनबद्धता :

- (1) भ्रष्टाचार रोकने के लिए बोलीदाता(ओं) / ठेकेदार(ओं) सभी कदम उठाने के लिए स्वयं को वचनबद्ध करता है। वह निविदा प्रक्रिया में अपनी प्रतिभागिता तथा निविदा निष्पादन के दौरान निम्नलिखित सिद्धांतों का अनुपालन करने के लिए स्वयं को वचनबद्ध करता है:-
- क) बोलीदाता(ओं) / ठेकेदार(ओं) किसी अन्य व्यक्ति अथवा फर्म के माध्यम से निविदा प्रक्रिया अथवा संविदा निष्पादन में संलिप्त प्रिंसिपल के कर्मचारियों अथवा किसी तीसरे व्यक्ति को निविदा प्रक्रिया अथवा निविदा निष्पादन के दौरान मूर्त अथवा अन्य किसी भी प्रकार के लाभ के बदले प्रत्यक्ष रूप से कोई ऑफर, वचन नहीं देंगे जिसके वह हकदार नहीं हैं।
- ख) बोलीदाता(ओं) / ठेकेदार(ओं) औपचारिक अथवा अनौपचारिक तौर पर किसी अन्य बोलीदाता के साथ किसी भी तरह का अप्रकटित समझौता नहीं करेंगे। यह बात विशेषतया बोली के मूल्यों, मानदंडों, प्रमाणन, सहायक संविदाओं, बोलियों के जमा करने अथवा जमा न करने अथवा प्रतिबंधित प्रतियोगिता के प्रति अन्य कार्यों या बोली प्रक्रिया में कार्टेलाइजेशन का उपयोग नहीं करेंगे।
- ग) बोलीदाता(ओं) / ठेकेदार(ओं) संबंधित आईपीसी/पीसी अधिनियम के तहत कोई भी अपराध नहीं करेंगे; इसके अतिरिक्त बोलीदाता(ओं) / ठेकेदार(ओं) व्यापार संबंधों के चलते योजनाओं, तकनीकी प्रस्तावों तथा व्यापारिक व्यौरों जिसमें निहित या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से प्रसारित सूचना भी शामिल है अथवा प्रिंसिपल द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना या दस्तावेज का प्रतियोगी या निजी लाभ हेतु या किसी अन्य को प्रसारित करने के लिए अनुचित तरीकों का उपयोग नहीं करेंगे।
- घ) विदेशी मूल के बोलीदाता(ओं)/ठेकेदार(ओं) को भारत में उनके एजेंटों/प्रतिनिधियों के नाम और पता का उल्लेख करना होगा, यदि कोई है। इसी प्रकार भारतीय नागरिकों को भी विदेशी प्रिंसिपलों के नाम और पता का उल्लेख करना होगा, यदि कोई है। इसके अतिरिक्त, बोलीदाता(ओं)/ठेकेदार(ओं) को "विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के भारतीय एजेंटों के लिए दिशानिर्देश" प्रस्तुत करने होंगे। इसके अतिरिक्त, दिशानिर्देशों में यथाउल्लिखित भारतीय एजेंट/प्रतिनिधि को किए गए सभी भुगतान केवल भारतीय मुद्रा में ही किए जाएंगे।
- ङ) बोली जमा करते समय बोलीदाता(ओं)/ठेकेदार(ओं) को एजेंटों, दलालों या किसी अन्य मध्यस्थ को संविदा सौंपने के संबंध में किए गए किसी भी या सभी भुगतानों के प्रकटन के प्रति वचनबद्ध या अभिच्छुक होना पड़ेगा।
- (2) बोलीदाता(ओं)/ठेकेदार(ओं) उपरोक्त वर्णित रूपरेखाओं के प्रति तीसरे पक्ष के व्यक्तियों को अपराध करने या ऐसे अपराधों के सहायक बनने के लिए नहीं उकसाएंगे।

खंड 3 - निविदा प्रक्रिया से अयोग्य करार देना तथा भावी संविदाओं से निष्कासित करना। :

- (1) संविदा सौंपने या निष्पादन के दौरान यदि बोलीदाता(ओं)/ठेकेदार(ओं) ने उपरोक्त या किसी अन्य रूप में खंड 2 का उल्लंघन कर कोई अपराध किया है जैसे अपनी विश्वसनीयता अथवा साख पर प्रश्न-चिह्न लगवाना, तब प्रिंसिपल बोलीदाता(ओं)/ठेकेदार(ओं) को निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित करने या संविदा निरस्त करने का हकदार होगा, यदि उसे ऐसे कारणों के लिए पहले से हस्ताक्षरित किया गया है।

- (2) यदि बोलीदाता(ओं)/ठेकेदार(ओं) ने खंड 2 का उल्लंघन कर कोई अपराध किया है जैसे अपनी विश्वसनीयता अथवा साख पर प्रश्न-चिह्न लगवाना, तब प्रिंसिपल को निविदा सौंपने की भावी प्रक्रियाओं से बोलीदाता(ओं)/ठेकेदार(ओं) को बाहर रखने का अधिकार। निष्कासन लागू करने तथा उसकी अवधि का निर्धारण अपराध की गंभीरता के आधार पर किया जाएगा। गंभीरता का निर्धारण मामले की परिस्थितियों, विशेषकर अपराधों की संख्या, बोलीदाता की कंपनी पदसोपान के साथ अपराध की स्थिति तथा नुकसान की राशि को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। निष्कासन कम से कम 6 महीने तथा अधिकतम 3 वर्ष के लिए होगा।
- (3) यदि बोलीदाता/ठेकेदार यह सिद्ध कर दें कि उन्होंने नुकसान की भरपाई कर दी है तथा उपयुक्त भ्रष्टाचार उन्मूलन प्रणाली शुरू की है, तब प्रिंसिपल समय से पहले ही निष्कासन रद्द कर सकता है।
- (4) कोई अपराध तब घटित हुआ माना जाएगा यदि साक्ष्य मौजूद हैं एवं संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है।

खंड 4 - नुकसान की क्षतिपूर्ति :

- (1) यदि प्रिंसिपल ने खंड 3 के अनुसार कार्य सौंपने से पूर्व बोलीदाता(ओं) को निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर दिया है, तब प्रिंसिपल को बयाना राशि/बोली की सिक्योरिटी के बराबर नुकसान की वसूली करने का अधिकार होगा।
- (2) यदि प्रिंसिपल ने खंड 3 के अनुसार संविदा को निरस्त कर दिया है अथवा यदि प्रिंसिपल एमएम खंड 3 के अनुसार संविदा निरस्त करने का हकदार है तब वह ठेकेदार से संविदा के मूल्य अथवा परफारमेंस बैंक गारंटी के बराबर नकद राशि की मांग करने और ठेकेदार से उसकी वसूली करने का अधिकार होगा।

खंड 5 - पूर्व अपराध:

- (1) बोलीदाता घोषणा करता है कि विगत 3 वर्षों में भ्रष्टाचार विरोधी दृष्टिकोण की पुष्टि करने वाली किसी भी देश की किसी दूसरी कंपनी अथवा भारत में किसी अन्य लोक उपक्रम के साथ ऐसा कोई पूर्व अपराध नहीं किया गया है जो निविदा प्रक्रिया से उसके निष्कासन को सही ठहराया सके।
- (2) यदि बोलीदाता विषय पर गलत कथन प्रस्तुत करता है तब उसे निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

खंड 6 - सभी बोलीदाताओं/ठेकेदारों/उप-ठेकेदारों के साथ समान व्यवहार :

- (1) बोलीदाता(ओं)/ठेकेदार(ओं) सभी उप-ठेकेदारों से सत्यनिष्ठ समझौते के अनुरूप वचनबद्धता की मांग करेंगे तथा उसे संविदा हस्ताक्षर करने से पहले प्रिंसिपल को प्रस्तुत करेंगे।
- (2) प्रिंसिपल समान शर्तों पर समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे क्योंकि यह सभी बोलीदाताओं और ठेकेदारों के लिए एक ही होगा।
- (3) प्रिंसिपल ऐसे सभी बोलीदाओं को निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित करेगा जो इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं अथवा इसके उपबंधों का उल्लंघन करते हैं।

खंड 7- उल्लंघनकर्ता बोलीदाता(ओं)/ठेकेदार(ओं)/उप-ठेकेदारों के विरुद्ध आपराधिक आरोप :

यदि प्रिंसिपल किसी ऐसे बोलीदाता, ठेकेदार या उप-ठेकेदार अथवा किसी कर्मचारी या प्रतिनिधि या बोलीदाता के किसी सहयोगी, ठेकेदार या उप-ठेकेदार के आचरण का संज्ञान लेता है जो भ्रष्टाचार में संलिप्त है अथवा प्रिंसिपल को इस संबंध में संदेह है, तब वह इसकी सूचना मुख्य सतर्कता अधिकारी को देगा।

खंड 8 - स्वतंत्र बाह्य मॉनीटर्स :

- (1) प्रिंसिपल इस समझौते के लिए सक्षम एवं विश्वसनीय स्वतंत्र बाह्य मॉनीटर नियुक्त करता है। मॉनीटर का कार्य स्वतंत्र एवं वस्तुगत समीक्षा करनी है कि क्या और किस सीमा तक दोनों पक्ष इस समझौते के तहत बाध्यताओं का अनुपालन करते हैं।
- (2) मॉनीटर दोनों पक्षा के प्रतिनिधियों द्वारा अनुदेशों के अधीन नहीं होता है और वह तटस्थ एवं स्वतंत्र रूप से अपने कार्यों का निष्पादन एवं कार्य पूर्ण करता है। वह अध्यक्ष, सीसीआई को रिपोर्ट करता है।
- (3) बोलीदाता(ओं)/ठेकेदार(ओं) स्वीकार करते हैं कि मॉनीटर को उन सभी निविदा दस्तावेजों की बिना किसी प्रतिबंध के सहज पहुंच प्राप्त है जो ठेकेदार द्वारा प्रिंसिपल को उपलब्ध कराए गए हैं। ठेकेदार मॉनीटर के अनुरोध एवं वैध अभिरुचि मिलने पर उसकी परियोजना के दस्तावेजों की गैर-प्रतिबंधित एवं शर्तहीन पहुंच उपलब्ध करवाने की भी स्वीकृति प्रदान करेगा। यह उप-ठेकेदारों पर भी लागू होती है। बोलीदाता(ओं)/ठेकेदार(ओं)/उप-ठेकेदार(ओं) की सूचना एवं दस्तावेजों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए मॉनीटर की संविदात्मक बाध्यता है।
- (4) जैसे ही मॉनीटर को इस समझौते के उल्लंघन का पता चलता है या वह ऐसा मानता है (, तब वह प्रिंसिपल के प्रबंधन को इसकी सूचना देगा तथा प्रबंधन से इसे समाप्त करने या सुधारात्मक कार्रवाई करने अथवा कोई अन्य उपयुक्त कार्रवाई करने का अनुरोध करेगा। मॉनीटर इस संबंध में गैर-बाध्यकारी सिफारिशें भी प्रस्तुत कर सकता है। इसके अतिरिक्त, मॉनीटर को दोनों पक्षों से यह मांग करने का अधिकार नहीं है कि वे विनिर्दिष्ट तरीके से काम नहीं करते हैं, कार्य से स्वयं को दूर रखते हैं अथवा कार्रवाई सहन करते हैं। तथापि, स्वतंत्र बाह्य मॉनीटर बोलीदाता/ठेकेदार को प्रिंसिपल द्वारा संस्तुति देने से पहले उनके समक्ष अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया जाएगा।
- (5) मॉनीटर सूचना मिलने की तिथि या प्रिंसिपल द्वारा उसे दी गई सूचना की तिथि के 5 से 10 सप्ताह के भीतर अध्यक्ष, सीसीआई को एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और अवसर मिलने पर समस्यागत परिस्थितियों को सुधारने के लिए प्रस्ताव भेजेगा।
- (6) मॉनीटर समान शर्तों पर क्षतिपूर्ति का हकदार होगा जो सीसीआई के स्वतंत्र निदेशकों को दी जा रही है/ उपलब्ध करवाई जाती हैं।

- (7) यदि मॉनीटर ने आईपीसी/पीसी अधिनियम के तहत किसी गंभीर प्रकृति के अपराध की सूचना सीसीआई के अध्यक्ष को दी है और अध्यक्ष, सीसीआई ने ऐसे अपराध के प्रति कारणोचित समयसीमा के भीतर दृशक कार्रवाई नहीं की है या इसकी सूचना मुख्य सतर्कता अधिकारी को नहीं दी है, तब मॉनीटर इसकी सूचना सीधे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को भी दे सकता है।
- (8) "मॉनीटर" शब्द में एकवचन तथा बहुवचन दोनों शामिल होंगे।
- (9) स्वतंत्र बाह्य मॉनीटर से प्राप्त सूचना तथा बतौर स्वतंत्र मॉनीटर के रूप में एकत्रित की गई सूचनाओं की गोपनीयता बनाए रखने की अपेक्षा की जाएगी। इस संबंध में किसी प्रकार का उल्लंघन भारत की विधिक न्यायिक प्रणाली के अधीन होगा।
- (10) स्वतंत्र बाह्य मॉनीटर को कोई भी कार्य हाथ में लेने से पहले एक वचनपत्र प्रस्तुत करना होगा और साथ ही यह प्रकटन करना होगा कि उसकी किसी भी रूप में पार्टी (बोलीदाता/ठेकेदार) से अभिरुचि अथवा संबंध नहीं है।

खंड 9 - समझौता अवधि:

इस समझौते पर दोनों पक्षों द्वारा कानूनी तौर पर हस्ताक्षर करते ही इसे लागू मान लिया जाएगा। हैं। संविदा के तहत अंतिम भुगतान के 12 महीने बाद ठेकेदार के लिए यह समाप्त हो जाएगा और अन्य सभी बोलीदाताओं के लिए संविदा सौंपे जाने के 6 महीने बाद समाप्त हुआ माना जाएगा। यदि इस समयावधि के दौरान कोई क्लेम दायर किया जाता है तब उपरोक्त उल्लिखित इस समझौते की घटी हुई अवधि के बावजूद भी उसे बाध्यकारी एवं जारी हुआ माना जाता रहेगा, जब तक कि सीसीआई के अध्यक्ष द्वारा इसे निष्पादित / निर्धारित नहीं किया जाए।

खंड 10 - अन्य उपबंध :

- (1) यह समझौता भारतीय कानून के अधीन है। निष्पादन एवं कार्यक्षेत्र प्रिंसिपल का पंजीकृत कार्यालय अर्थात नई दिल्ली है।
- (2) परिवर्तन तथा अनुपूरक तथा स्थगन नोटिस लिखित में दिए जाएंगे। साइड एग्रीमेंट्स तैयार नहीं किए गए हैं।
- (3) यदि ठेकेदार पार्टनरशिप अथवा कंसोर्टियम है, तब इस समझौते पर सभी पार्टनर और कंसोर्टियम सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए।
- (4) इस समझौते के एम या अनेक उपबंधों के अवैध होने की स्थिति में, समझौते के शेष भाग भी अवैध हो जाएगा। ऐसी स्थिति में, दोनों पक्ष अपने मूल इरादों के प्रति एकमत होने का प्रयास करेंगे।

(प्रिंसिपल के लिए और उनकी ओर से)

(बोलीदाता/ठेकेदार के लिए और उनकी ओर से)

(कार्यालय की मोहर)

(कार्यालय की मोहर)

स्थान _____

दिनांक _____

गवाह 1 :

(नाम और पता) _____

गवाह 2 :

(नाम और पता) _____

हम / मैं यहाँ घोषणा करता हूँ कि निगम के निम्नलिखित अधिकारी हमारे / मेरे संबंधी नहीं है।

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	धारित पद	तैनाती का स्थान

नोट: यदि कोई अधिकारी सम्बंधित नहीं है, तो उपरोक्त बॉक्स में 'शून्य' उल्लेख किया जाना चाहिए।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
(नाम/पता मुहर सहित)

गैर-निष्पादित / वर्तमान संविदाएं / हाथ में कार्य

संविदा का अनुमानित मूल्य (रु. लाख)

क्रम सं.	ग्राहक का नाम	कार्य की प्रकृति	टन	संविदा का अनुमानित मूल्य (रु. लाख)	कार्यारंभ तिथि	कार्य पूर्णांक तिथि

नोट: यदि ऐसा कोई विवरण नहीं है, तो 'शून्य' उल्लेख किया जाना चाहिए।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
(नाम/पता मुहर सहित)

स्थान:

दिनांक:

निविदाकर्ताओं द्वारा दी जाने वाली अतिरिक्त सूचना के लिए प्रारूप (विशेष अनुदेश खंड 3 में विशेष निबंधन एवं शर्तों का संदर्भ करें)	
1.	फर्म / कंपनी का नाम
2.	पूरा डाक पता /ईमेल आईडी /फोन आदि क) प्रधान कार्यालय / निगमित कार्यालय ख) संयंत्र ग) अन्य शाखाएं (दिल्ली स्थित कार्यालय सहित, यदि कोई है)
3.	क्या लोक उपक्रम/निजी क्षेत्र/संयुक्त उपक्रम आदि है।
4.	संगठन का प्रकार
	मालिकाना/पार्टनरशिप/साझेदारी/लिमिटेड/कोई अन्य
	क. मालिकाना/पार्टनरशिप/साझेदारी की स्थिति में
i)	मालिक/पार्टनर का नाम
ii)	क्या बिजनेस/पार्टनरशिप/साझेदारी पंजीकृत है।
iii)	बिजनेस आरंभ करने की तिथि
iv)	आयकर मूल्यांकन की स्थिति (वैध आयकर क्लेयरेंस प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करें)
v)	बैंकर्स का नाम और पता (अपने बैंकर के संदर्भ पत्र संलग्न करें)
	ख. लिमिटेड देयता कंपनी या गारंटी द्वारा कंपनी लिमिटेड की स्थिति में
i)	प्रदत्त पूंजी की राशि
ii)	निदेशकों के नाम
iii)	कंपनी के पंजीकरण की तिथि
iv)	कंपनी के विगत तीन वर्षों की लेखापरीक्षित तुलनपत्र की प्रतियां (लाभ-हानि विवरण सहित) संलग्न करें।
v)	बैंकर का नाम और पता (कृपया अपने बैंकर से संदर्भ पत्र संलग्न करें)
5.	उस वस्तु का उत्पादन आरंभ करने की तिथि जिसके लिए निविदा जमा की जा रही है।
6.	वित्तीय
क)	भवन, फिटिंग तथा फिक्चर्स की अचल संपत्तियों पर निवेश
ख)	संयंत्र एवं मशीनरी टूल तथा डाई आदि पर निवेश

i)	क्या आपकी फर्म आईएसआई प्रमाणन चिह्न का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत है। (प्रतियां सहित प्राधिकरण का संदर्भ प्रस्तुत करें)	
(ii)	क्या ये परीक्षण सुविधाएं आईएसआई के अनुरूप हैं।	
iii)	परीक्षण सुविधाओं में क्या-क्या है (परीक्षण उपकरण अनुलग्नक डी2)	
8.	क्या आप उल्लिखित निम्नलिखित मदों की आपूर्ति की अनुमोदित सूची में शामिल हैं:	
	<ul style="list-style-type: none"> - कोई लोक उपक्रम - सीमेंट संयंत्र - अन्य प्रतिष्ठित एजेंसी <p>(पंजीकरण प्रमाण-पत्र की फोटोकॉपी संलग्न करें)</p>	

स्थापित संयंत्र एवं मशीनरी के ब्यौरे

फर्म का नाम:

क्रम सं. मशीनरी	साइज़/आकार/क्षमता	मात्रा	निर्माण का वर्ष	सामान्य स्थिति

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर :

हस्ताक्षरकर्ता का नाम :

पदनाम :

कंपनी / फर्म की सील:

स्थापित परीक्षण सुविधाओं के ब्यौरे

फर्म का नाम :

क्रम सं.	मद	साइज/क्षमता मात्रा	निर्माण तिथि	सामान्य स्थिति
----------	----	--------------------	--------------	----------------

नोट: यह भी उल्लेख करें कि क्या रेडियोग्राफी, मेग्नेटिक क्रेक डिटेक्शन अल्ट्रासॉनिक परीक्षण सुविधा, भौतिक परीक्षण एवं रासायनिक परीक्षण जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। साथ ही नियमित एवं टाइप - परीक्षण सुविधाओं का भी उल्लेख करें।

दिनांक :

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर :

हस्ताक्षरकर्ता का नाम :

पदनाम :

कंपनी / फर्म की सील:

निष्पादित ऑर्डर के ब्यौरे
(विगत तीन वर्षों के दौरान सीसीआई सहित)

-

फर्म का नाम :

क्रम सं.	मद की किस्म	पार्टी का नाम जिसे आपूर्ति की गई	मूल्य	सुपुर्दगी की तिथि	ऑर्डर की तिथि	वास्तविक संपूर्णता की तिथि
----------	----------------	-------------------------------------	-------	-------------------	------------------	-------------------------------

दिनांक :

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर :

हस्ताक्षरकर्ता का नाम :

पदनाम :

कंपनी / फर्म की सील:

(बोलीदाता के लैटर हेड पर)

घोषणा पत्र जिसे फर्म के लैटर हेड पर मुद्रित किया जाना है और निविदाकर्ता द्वारा विधिवत भरा हुआ, हस्ताक्षरित करके ऑनलाइन अपलोड किया जाना है।

बोलीदाता की हवाला संख्या:

दिनांक:

हमने / मैंने ऑनलाइन भाग-I (निविदाकारों को निर्देश) और भाग-II (सामान्य नियम और शर्तें) और निविदा आमंत्रण का भाग-III (विशेष नियम और शर्तें) और भाग-IV (तकनीकी विनिर्देश), जो www.cciitd.in के निविदा खंड संख्या पर उपलब्ध है पढ़ा, उन्हें पूरी तरह से समझा और स्वीकार किया। हमारा / मेरा ऑफर निविदा और उसके शुद्धिपत्र / एडेनडम, यदि कोई हो, के सभी नियम और शर्तों का अनुपालन करता है। इसलिए भाग-I, II, III, IV और शुद्धिपत्र/ एडेनडम, यदि कोई हो, पूर्ण निविदा दस्तावेज़ का गठन करेगा। संविदा हमें / मुझे सौंपने के समय में भाग-I, II, III, IV और शुद्धिपत्र / एडेनडम, यदि कोई हो, को संविदा का भाग समझा जाएगा।

हम / मैं यह पुष्टि करते हैं / करता हूँ कि मूल निविदा दस्तावेज़ों से कोई छेड़खाड़ नहीं की गई है। हम / मैं यह समझते हैं / समझता हूँ कि, निविदा दस्तावेज़ों में कोई भी छेड़खानी से हमारी/ मेरी बोली / कार्यवाही को सी.सी.आई. की निविदा में हमारी / मेरी भागीदारी को अस्वीकृत किया जा सकता है।

हम / मैं यहाँ यह घोषणा करते हैं / करता हूँ कि हमें / मुझे किसी भी सरकारी विभाग / अर्ध सरकारी / लोक उद्यम उपक्रम और स्थानीय निकाय से संविदा के लिए निविदा से वंचित नहीं किया गया है।

हम / मैं प्रमाणित करते हैं / करता हूँ कि निविदा दस्तावेज़ों में हमारे / मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी गई है, वह सही है, और अगर किसी चरण पर कुछ भी गलत पाया जाता है तो वह हमारी / मेरी संविदा निरस्त / रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा, और इस क्षति के लिए हमारे/ मेरे विरुद्ध कारपोरेशन के द्वारा कार्यवाही की जा सकती है।

हम / मैं निविदा के दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करने के लिए विधिवत अधिकृत / सशक्त हूँ / हूँ।

हम / मैं ये भी समझते हैं / समझता हूँ कि हमारे / मेरे द्वारा किसी भी प्रकार की गलती / कदाचार / विचलन / संविदा का उल्लंघन करने की स्थिति में हमें / मुझे वंचित करने के लिए हमारे / मेरे विरुद्ध कारण बताओ नोटिस के माध्यम से हमारा / मेरा उत्तर मिलने / नहीं मिलने के पश्चात् भी कारपोरेशन के द्वारा उचित कार्यवाही की जा सकती है।

क) निविदाकर्ता का नाम:

ख) पूरा पोस्टल पता:

.....
.....

ग) टेलीग्राफिक पता/ टेलेक्स/फैक्स

घ) फ़ोन: ऑफिस घर

ङ) ईमेल आईडी

आपका आभारी,

(निविदाकर्ता के हस्ताक्षर मुहर सहित)